असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

28 मार्च, 2023

सप्तदश विधान-सभा मंगलवार, तिथि 28 मार्च, 2023 ई॰
अष्टम सत्र 07 चैत्र, 1945 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय -11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । अब प्रश्नोत्तर काल होगा । अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।

(व्यवधान)

श्री सत्यदेव राम : महोदय, आज...

अध्यक्ष : आप एक मिनट बैठ जाइये । नेता विरोधी दल क्या कहना चाहते हैं ?

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, सदन मात्र अब 4 दिन बचा है । महोदय, अभी तक सरकार ने इसराईल मंसूरी का मामला हो, आपराधिक घटनाओं का, हत्या का, लूट का, बिजली दर में वृद्धि का, गन्ना किसानों के मूल्य निर्धारण...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : देते हैं, आप बैठिए हम समय देते हैं ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : शिक्षकों की नियुक्ति, कनीय अभियंताओं के विषय पर कोई वक्तव्य नहीं दिया । महोदय, आज बिजली, गन्ना और कृषि रोड मैप पर हमलोग कार्यस्थगन भी दिए हैं, उसपर विचार होना चाहिए महोदय, सरकार आखिर कब जवाब देगी ? ये सदन के चलाने का आखिर क्या औचित्य है अगर जो सरकार विपक्ष के विषय पर न चर्चा कराए न जवाब दे और कोई भी सरकार का जवाब नहीं आया, जितने विषय उठाए गए इस सदन में, सरकार का जवाब नहीं, प्रश्नों पर भी सरकार का ढंग से जवाब नहीं आता है तो महोदय, आज किसानों की आय कम होती जा रही है, किसानों की बदहाल स्थिति, कृषि रोड मैप-4 आ गया, 3 की समीक्षा तक नहीं हुई, कृषि में कितना सब्सिडी में धांधली है महोदय, किस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है, इस पर तो सरकार जवाब दे । इसराईल मंसूरी पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया था, उस पर भी चर्चा नहीं हुई...

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष, अब आप स्थान ग्रहण करें । माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा जी ।

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो नियम-105 के तहत चर्चा कराए जाने की सूचना दी थी, उस पर अध्यक्ष महोदय निर्णय लीजिए चूंकि राहुल गांधी जी की सदस्यता

समाप्त हो गई, यह लोकतंत्र की हत्या है, इस पर चर्चा कराने के लिए क्या हुआ वह हम जानना चाहते हैं ।

(व्यवधान)

यह बहुत जरूरी है सर...

अध्यक्ष : अब देखिए, नेता प्रतिपक्ष बोल लिए, उनको भी बोलवाया, आप क्यों ऐसा करते हैं?

श्री अजीत शर्मा : यह लोकतंत्र की हत्या है सर...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपको समय दिया, उनको भी समय दिया । सत्यदेव राम जी...

(व्यवधान)

श्री अजीत शर्मा : सर, सर...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सत्यदेव राम जी ।

(व्यवधान)

श्री सत्यदेव राम : महोदय, बिहार के भूमिहीन, आवासहीन सभी जिलों से गर्दनीबाग में आए हुए हैं और उनकी मांग है कि बिहार के सभी भूमिहीन, आवासहीन लोगों को 10 डिसमिल जमीन देने की नीति सरकार बनाए...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : देखिए, माननीय सदस्य सरावगी जी, उनको जो कहना है वे कह रहे हैं, आप स्थान ग्रहण कीजिए ।

श्री सत्यदेव राम : ताकि बिहार में कोई व्यक्ति 10 डिसमिल से कम जमीन वाला न रहे, यह हम मांग करते हैं सदन से ।

अध्यक्ष : ठीक है, स्थान ग्रहण कीजिए ।

(व्यवधान)

श्री भाई वीरेन्द्र : सर, एक सेकेंड सर । सर, एक कहावत है कि सांड लाल कपड़ा देखकर हड़क जाता है भड़क जाता है, उसी तरह मंसूरी जी का नाम सुनते ही ये लोग भड़क जाते हैं ।

प्रश्नोत्तर काल

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-80 (श्री अखतरूल ईमान, क्षेत्र संख्या-56, अमौर)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान, अपना पूरक पूछें ।

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, पूछता हूं और चूंकि नेट स्लो था इसी वजह से इसका उत्तर नहीं निकाला जा सका तो कृपया...

अध्यक्ष : विधान सभा के माननीय सदस्यों से आसन से मैं आग्रह करूंगा कि अब सत्र समापन की तरफ जा रहा है इसलिए जो प्रश्नकाल है या अन्य काल है, कृपया

बाधित न करें इसलिए कि संयुक्त रूप से सब लोगों का प्रश्न है, सबलोगों के अन्य जो ध्यानाकर्षण हैं, शून्यकाल हैं, आप इत्मीनान से अपने प्रश्नों को जो हम पुकारते हैं, आप सप्लीमेंट्री पूछिए, सरकार जवाब देगी, आप सप्लीमेंट्री पूछिए । शांति बनाए रखने की मैं अपील करता हूं ।

श्री अखतरूल ईमान : सर, नेट स्लो होने की वजह से उत्तर नहीं मिल सका है अगर आपकी कृपा हो तो माननीय मंत्री जी पढ़ दें, सर ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ।

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1-पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-29/1998, 212 दिनांक- 17.03.2022 द्वारा औद्योगिक इकाईयों की स्थापना एवं जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, 1974 के तहत सहमति शुल्कों को पुनरीक्षण 5 वर्षों के उपरान्त किया गया है । बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद, अधिसूचना संख्या-37 दिनांक-20.12.2021 द्वारा वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम-1981 के तहत सहमति शुल्कों का पुनरीक्षण किया गया है ।

2-सहमति शुल्कों का निर्धारण उद्योगों की कुल पूंजीगत लागत के आधार पर किया गया है । उद्योगों की सुविधा के लिए प्रत्येक वर्ष के स्थान पर 5 वर्षों के लिए सहमति प्रदान करने का प्रावधान किया गया है । इसके लिए सहमति शुल्क 5 वर्षों पर एक बार देय होता है । इस प्रावधान से उद्यमियों को 5 वर्षों में एक बार सहमति नवीकरण में सहूलियत होती है ।

3-चूंकि ये शुल्क 5 वर्षों में एक बार देय है एवं इसका पुनरीक्षण वर्ष 2016 के पश्चात किया गया है, इसे वापस लेने का कोई औचित्य नहीं है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री अखतरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट बड़ी प्रयत्नशील है कि यहां पर उद्योग लगे और उद्योग-धंधा लगाने के लिए जरूरी है कि उद्योग लगाने वालों को सहूलियत दी जाय और इस वक्त 2018-19 का जो जी0डी0पी0 का रेट रहा है वह 11.3 परसेंट रहा है जो बहुत ही संतोषजनक नहीं है और इन उद्योगियों का जी0डी0पी0 में बड़ा रोल होता है इसलिए...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरक पूछें ।

श्री अखतरूल ईमान : जी सर, वही पूछ रहा हूं...

अध्यक्ष : सरकार ने तो अपना जवाब दे दिया है । आप पूरक पूछें ।

श्री अखतरूल ईमान : जी, जी सर पूरक ही पूछ रहा हूं कि इन्होंने 5-5 गुना बढ़ा दिया है, रिन्यूअल में बढ़ा दिया है, एन0ओ0सी0 में बढ़ा दिया है तो उसको कम कराया

जाना चाहिए ताकि लोगों को उद्योग लगाने में, बेराजगार उद्योग लगाते हैं, कम पूंजी वाले उद्योग लगाते हैं ताकि उसको आसानी हो, क्या सरकार इन शुल्कों में कटौती करने का विचार रखती है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने बहुत सोच-समझकर, उद्योगपतियों के लिए छोटे उद्योगपति हों या बड़े उद्योगपति, सबकी सुविधा के अनुसार इसे पुनरीक्षित किया गया है । 25 लाख रुपये के पूंजी निवेश पर मात्र 5 हजार और 15 हजार, दो शुल्क सी0टी0ई0 और सी0टी0ओ0 लगाए गए हैं जो 5 वर्षों पर देय हैं, ये प्रति वर्ष नहीं दिया जा रहा है, 5 वर्षों पर । 25 लाख से ऊपर और 5 करोड़ के अंदर 15 हजार रुपए और 45 हजार रुपये, 5 करोड़ से ऊपर परन्तु 10 करोड़ के नीचे यह 35 हजार रुपये और 70 हजार रुपये, 10 करोड़ से ऊपर और 50 करोड़ से नीचे 75 हजार और 1 लाख रुपये उसी तरह 50 करोड़ से ऊपर की पूंजी पर मात्र डेढ़ लाख और पौने तीन लाख रुपए । महोदय, 5 वर्षों पर इतना शुल्क प्रदूषण नियंत्रण के संदर्भ में चाहे जल का उपयोग हो या फिर वायु प्रदूषण, सबसे संबंधित है । इसका सहमति शुल्क लिए जाने की परंपरा रही है और 5 वर्षों बाद ही इसका पुनरीक्षण हुआ है इसलिए मैं महोदय, उद्योग लगाने वालों, जो लगाए हुए हैं उन लोगों से भी कंसेन्ट लिया गया था और उनकी सहमति के साथ सरकार ने इस प्रयोग को किया है । मैं समझता हूं कि यह उद्योग लगाने के क्षेत्र में उद्योगपतियों के लिए ज्यादा सुविधाजनक है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य...

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, मेरा एक पूरक है सर, एक पूरक है सर । माननीय मंत्री जी ने बड़ा अच्छा मतलब बिहार के विकास के लिए टैक्स बढ़ाया सर, मैं उस पर आपत्ति नहीं करता हूं लेकिन मेरा एक है कि कम से कम एक लाख, 3-4-5 लाख रुपये करोड़ तक के लिए जो लोग पूंजी लगा रहे हों, नए व्यापारी हैं, नए उद्योगपति हैं तो उनके शुल्क में कम से कम कमी करायी जाय सर ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी । आपने जवाब दिया है लेकिन ये जो पूछे हैं इस पर भी उन्हें संतुष्ट कर दीजिए ।

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री : महोदय, कम शुल्क भी लगना चाहिए क्योंकि जो उद्योगपति हैं उनको लगना चाहिए कि कहीं न कहीं किसी चीज के प्रति वे जिम्मेवार हैं । इसलिए इस तरह के शुल्क से सिर्फ आर्थिक मामला यह नहीं है ये है एक तरह से कि आप प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जुड़े हुए हैं और उनके नियमों का पालन कर रहे हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री प्रेम कुमार । माननीय सदस्य श्री प्रेम कुमार जी ने प्राधिकृत कर दिया है माननीय सदस्य श्री जनक सिंह जी को । माननीय सदस्य श्री जनक सिंह पूरक पूछें ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-81 (श्री प्रेम कुमार, क्षेत्र संख्या-230, गया टाउन)

श्री जनक सिंह : अध्यक्ष महोदय, जवाब नहीं है मेरे पास । अभी जस्ट हमारे पास सूचना आयी है इसलिए जवाब दिलवा दीजिए, महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री चन्द्र शेखर, मंत्री : महोदय, जवाब तो चला गया है माननीय सदस्य तैयार होकर नहीं आए हैं जवाब तो रात ही में चला गया है । महोदय, मैं पढ़ देता हूं ।

अध्यक्ष : आप पढ़ दीजिए ।

श्री चन्द्र शेखर, मंत्री : मैं पढ़ देता हूं महोदय । खंड-1...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति, शांति ।

श्री चन्द्र शेखर, मंत्री : खंड-1- वस्तुस्थिति यह है कि यू डायस 2021-22 के अनुसार 75 हजार 466 सरकारी विद्यालयों में से 75 हजार 161 विद्यालयों में 19 हजार 453 इकाई शौचालय उपलब्ध है जिनमें से 1 लाख 81 हजार 718 इकाई क्रियाशील हैं ।

(क्रमशः)

टर्न-2/सुरज/28.03.2023

(क्रमशः)

श्री चन्द्र शेखर, मंत्री : शेष विद्यालयों में भूमि की उपलब्धता के अनुसार शौचालय निर्माण का प्रस्ताव समग्र शिक्षा के वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2023-24 में दिया जा रहा है । वस्तुतः शौचालय का लगातार क्रियाशील रहना उनके साफ-सफाई एवं रख-रखाव पर निर्भर करता है । शौचालय के साफ-सफाई एवं रख-रखाव के लिये समग्र शिक्षा के अंतर्गत विद्यालय विकास अनुदान का प्रावधान है जो इस प्रकार है:-

1. 01 से 30 नामांकन वाले विद्यालय के लिये 10 हजार रुपया ।
2. 31 से 100 नामांकन वाले विद्यालय के लिये 25 हजार रुपया ।
3. 101 से 250 नामांकन वाले विद्यालय के लिये 50 हजार रुपया ।
4. 251 से 1000 नामांकन वाले विद्यालय के लिये 75 हजार रुपया ।
5. 1000 से अधिक नामांकन वाले विद्यालय के लिये 01 लाख रुपया ।

उक्त राशि में न्यूनतम राशि 10 प्रतिशत एवं 25 प्रतिशत का व्यय स्वच्छता गतिविधियों पर सुनिश्चित करने का निदेश पूर्व से निर्गत है । वित्तीय वर्ष

2022-23 में विद्यालय विकास अनुदान के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों एवं माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिये स्वीकृत लक्ष्य 66141 एवं 9283 के विरूद्ध क्रमशः 65843 एवं 9239 द्वारा व्यय हेतु वित्तीय अधिसीमा निर्धारित कर विद्यालयों को उपलब्ध करवा दिया गया है ।

महोदय, उक्त के अलावे माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विकास मद की राशि भी उपलब्ध है, जिससे साफ-सफाई एवं रख-रखाव किया जा सकता है । साफ-सफाई एवं रख-रखाव की जिम्मेवारी प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक की है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के पत्रांक-3793, दिनांक-05.07.2022 एवं पत्रांक-637, दिनांक-02.02.2023 द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेश निर्गत है ।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के समग्र शिक्षा के पूरक बजट में 6796 इकाई बालक शौचालय एवं 7308 इकाई बालिका शौचालय के निर्माण की स्वीकृति दी गयी है ।

2- वस्तुस्थिति यह है कि इस संबंध में विभागीय पत्रांक-3793, दिनांक-05.07.2022 द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेशित किया गया है कि यदि विद्यालय में शौचालय, मूत्रालय तथा पेयजल स्त्रोतों की क्रियाशीलता, साफ-सफाई एवं रख-रखाव की स्थिति चिंतनीय पायी जाती है, तो संबंधित प्रधानाध्यापक के विरूद्ध नियमानुकूल कार्रवाई की जाय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य पूरक पूछें ।

श्री जनक सिंह : महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि राज्य के अंदर प्राथमिक विद्यालयों से लेकर उच्च विद्यालयों तक जो स्थिति बनी हुई है शौचालय की वह सर्वविदित है और एक कहावत है कि ''लेखा न बही और शिक्षा मंत्री जो कहें सही ।''

लेकिन यहां लेखा-बही ठीक है और धरती पर शून्य है । सभी माननीय विधायक यहां बैठे हुये हैं आप राज्य के अंदर किसी भी विद्यालय में चले जाइये 10 प्रतिशत भी शौचालय के अंदर या अन्य रख-रखाव की स्थिति ठीक नहीं है इसलिये मैं चाहूंगा कि यह जो विषय है माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय को गहनता से लेते हैं और पूर्व शिक्षा मंत्री जी भी यहां पर हैं । मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी एक कमेटी गठित करें और राज्य के अंदर जितने भी विद्यालय हैं, उसकी क्या स्थिति है ? चूंकि भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी जी भी इस विषय को लाल किला से गहनता से लिये थे कि गांव-गलियारा, खेत-खलिहान, विद्यालय, महाविद्यालयों के भी शौचालय बनने चाहिये...

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिये ।

श्री जनक सिंह : तो क्या सरकार इन विद्यालयों में, यह सरकार आश्वासन देना चाहेगी कि हम समय-सीमा निर्धारित करके सभी विद्यालयों में शौचालय बनवायेंगे ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री चन्द्र शेखर, मंत्री : महोदय, उत्तर में स्पष्ट है, माननीय सदस्य ध्यान नहीं दिये होंगे । तीन-तीन पत्राचार उच्च स्तर से ए0सी0एस0 के माध्यम से विद्यालयों को गया है और कमेटी जो काम कर रही है वह जिला शिक्षा पदाधिकारी के अधीन कार्रवाई का अधिकार है । महोदय, इस संबंध में कुछ ऐसे विद्यालय हैं ऐसा भी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि 15-16 साल में गड़बड़ी नहीं हुई, 7 महीना में ही सब गड़बड़ी हो गयी महोदय । तो समग्र शिक्षा अभियान की जो राशियां दिल्ली से आनी है जो महोदय अभी नाम ले रहे थे तो वहां से क्या आती है वह तो तत्काल भी आप बजट का लेखा-जोखा ले सकते हैं । महोदय, भारत सरकार का सहयोग न के बराबर होता है इस मामले में और यह चिंताजनक स्थिति है । बावजूद भी माननीय सदस्य को मैं यह जानकारी दूं कि स्पष्ट रूप से सरकार इन विद्यालयों में निगरानी व्यवस्था को दुरूस्त रखी है । आगे और निगरानी की जायेगी और जहां भूमि उपलब्ध नहीं हो पायेगा, वहां भूमि उपलब्ध कराने के लिये भी पत्राचार सरकार ने अपर मुख्य सचिव के स्तर से किया है ।

श्री नंद किशोर यादव : महोदय...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री नंद किशोर यादव जी ।

श्री नंद किशोर यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न को देखा जाय । माननीय मंत्री जी ने विस्तार से जवाब दिया है लेकिन प्रश्न आप देखेंगे तो साफ है, यह स्वीकार किया गया है कि शौचालय है । कुछ जगह कमियां होंगी लेकिन ये साफ लिखा गया है कि 50 प्रतिशत स्कूलों में शौचालय बेकार है । माननीय मंत्री जी ने भी साफ जवाब दिया है कि इतना रुपया दिया जाता है, राशि दी जाती है और इन्होंने दो पत्र का हवाला दिया है । एक पत्र तो मान्यवर जो पूर्व शिक्षा मंत्री जी हैं उनके समय का है जुलाई, 2022 का और दूसरा पत्र जब ये क्वेश्चन किया गया है तब गया है फरवरी, 2022 में । खैर, वह विवाद का विषय मेरे लिये नहीं है । मेरा विषय यह है कि जो पैसा यहां से जा रहा है । पूरा तंत्र है शिक्षा विभाग का विद्यालय है, विद्यालय के ऊपर उनका जो प्रखंड का शिक्षा पदाधिकारी है, जिला का पदाधिकारी है तो किसी ने इसका निरीक्षण किया और अगर सब ठीक है और गड़बड़ नहीं है, सरकार कह रही है कि गड़बड़ नहीं है और अगर गड़बड़ है तो कितने विद्यालय के लिये रिपोर्ट हुआ, कितने पर कार्रवाई हुई ? महोदय, आप सवाल देखिये, माननीय

विधायक ने प्रश्न किया है कि क्या सरकार ससमय शौचालय नहीं बनवाकर बच्चे-बच्चियों को बेकार पड़े शौचालय में ही जाने को मजबूर करने वाले विद्यालय प्रशासन एवं पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है ? महोदय, मेरा सवाल कार्रवाई का है ।

अध्यक्ष : नंद किशोर बाबू आपने तो पूरक पूछ ही लिया । माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग।

श्री चन्द्र शेखर, मंत्री : महोदय...

अध्यक्ष : अभी जवाब आपने विस्तृत रूप से दिया है लेकिन माननीय सदस्य...

श्री चन्द्र शेखर, मंत्री : महोदय, एक जानकारी मैं सदन को देना चाहता हूं और सामने वाले माननीयों के लिये थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण है । समग्र शिक्षा पर फरवरी, 2023 तक 18176.05 करोड़ रुपया खर्च हुआ है । उक्त मद में भारत सरकार का हिस्सा 10905.63 करोड़ रू0 होता है । मगर इस वित्तीय वर्ष में केन्द्र सरकार...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : तारकिशोर बाबू, उन्होंने प्रश्न पूछ लिया है ।

(व्यवधान)

आपको समय नहीं मिलेगा, नियमानुसार आप बैठ गये हैं । आपके प्रश्न का जवाब हुआ, आप बैठ गये । अब माननीय नंद किशोर बाबू प्रश्न पूछ रहे हैं इसलिये आपको इजाजत नहीं मिलेगी ।

श्री चन्द्र शेखर, मंत्री : महोदय, केन्द्र सरकार अपने हिस्से का 10 हजार...

अध्यक्ष : और आपने प्रश्न पूछ भी लिया है ।

श्री नंद किशोर यादव : महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब तो दिलवाइये न ।

अध्यक्ष : जवाब दे रहे हैं ।

श्री चन्द्र शेखर, मंत्री : महोदय, मैं उसी प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं । केन्द्र सरकार का हिस्सा...

अध्यक्ष : सरकार को मैंने कहा है कि माननीय प्रश्नकर्ता के प्रश्न का जवाब आप दीजिये ।

श्री नंद किशोर यादव : कहां दे रहे हैं महोदय ?

अध्यक्ष : स्थान ग्रहण किया जाये न, स्थान ग्रहण कीजिये ।

श्री चन्द्र शेखर, मंत्री : महोदय, मैं सुगम और सुलभ जानकारी के लिये बता दूं कि भारत सरकार का हिस्सा 10905.63 करोड़ में से अभी तक मुश्किल से 1855.65 करोड़ ही प्राप्त हुआ है इसलिये भारत सरकार के सहयोग को हम सब लोग जानें इस बात की आवश्यकता है और माननीय सदस्य ने जो बात कही है कि कितने में है और कितने में नहीं है, अलग से प्रश्न लायेंगे तो जवाब दे देंगे ।

श्री नंद किशोर यादव : महोदय, प्रश्न देखा जाय । महोदय, प्रश्न की अंतिम पंक्ति देखी जाय । मैंने कोई विषय प्रश्न से बाहर का नहीं किया है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप शांति बनाये रखें ।

श्री नंद किशोर यादव : महोदय, मैंने कोई प्रश्न बाहर का नहीं किया है । कितने पर कार्रवाई हुई यह प्रश्न में लिखा हुआ है, महोदय । मैं वही बात पूछ रहा हूं ।

अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें । माननीय मंत्री जी आपने अपने स्तर से, सरकार के स्तर से कार्रवाई किया है ? अगर कार्रवाई किया है तो इसकी जानकारी माननीय सदस्य को दीजिये ।

श्री चन्द्र शेखर, मंत्री : महोदय, कार्रवाई की जा रही है और इसके लिये सरकार के स्तर से पत्र जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्गत है ।

अध्यक्ष : ठीक है, अब बैठ जाइये ।

माननीय सदस्य, श्री संजय सरावगी ।

(व्यवधान)

अब हो गया नंद किशोर बाबू ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न सं0-82 (श्री संजय सरावगी, क्षेत्र सं0-83, दरभंगा)</u>

(लिखित उत्तर)

श्रीमती शीला कुमारी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1-आंशिक स्वीकारात्मक ।

2- वस्तुस्थिति यह है कि:-

(i) सारथी-4.0 सॉफ्टवेयर वर्ष-2018 से राज्य में लागू है ।

(ii) सारथी-4.0 सॉफ्टवेयर में Online/Mobile OTP Authentication आधारित घर बैठे आवेदन करने की व्यवस्था है ।

(iii) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा अधिसूचित संख्या-1026(E) दिनांक- 03.03.2021 को बिहार राज्य में यथा स्थिति लागू किये जाने हेतु विभागीय पत्रांक-6352, दिनांक-06.10.2021 द्वारा निदेश निर्गत है । निदेश के आलोक में Aadhar Authentication के आधार पर लाईसेंस निर्गमन का कार्य अक्टूबर, 2021 से विभाग द्वारा किया जा रहा है ।

(iv) Aadhar Based/E-KYC Based Online Learning Test Model Pilot Project के रूप में औरंगाबाद जिले में प्रारंभ किया गया है, जिसके सफलतापूर्वक संचालन के पश्चात सम्पूर्ण राज्य में लागू की जायेगी ।

3- उपरोक्त कंडिका-01 एवं 02 में उत्तर उपलब्ध करा दी गयी है ।

टर्न–3/राहुल/28.03.2023

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, ऑनलाईन उत्तर दिया हुआ है...

अध्यक्ष : हां, तो आप पूरक पूछिये ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, परिवहन विभाग में जो भ्रष्टाचार है हम सभी लोग इससे वाकिफ हैं...

अध्यक्ष : आप शांति बनाये रखें । तारकिशोर बाबू, पूर्व उप मुख्यमंत्री जी, आपके दल के सदस्य ही बोल रहे हैं ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने 3 मार्च, 2021 को एक गजट प्रकाशित किया था जिसमें 18 तरह की सेवाएं आधार E-KYC और फेस लेस के माध्यम से देने का नोटिफिकेशन किया गया है और ये 18 तरह की सेवाएं बिना परिवहन विभाग कार्यालय जाये हुए घर में बैठकर आधार E-KYC एवं फेसलेस के माध्यम से मिल सकती हैं और लोग भ्रष्टाचार और वहां जाने पर जो पैसा लगता है उससे वंचित हो सकते हैं । अध्यक्ष महोदय, देश के कई राज्य इसको लागू कर दिये हैं मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि भारत सरकार का जो यह 3 मार्च, 2021 का गजट है, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि ये जो लाईसेंस देते हैं उसको आधार पर जो है, मेरा यह प्रश्न नहीं है महोदय । मेरा प्रश्न यह है कि 18 तरह की सुविधाएं जो लाईसेंस नवीकरण से लेकर...

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिये न । अल्पसूचित का समय भी समाप्त हो गया है ।

श्री संजय सरावगी : आधार E-KYC एवं फेसलेस के माध्यम से कब तक बिहार में आम उपभोक्ता ये सुविधा सरकार देना चाहती है, यह मेरा सीधा–सीधा प्रश्न है ताकि भ्रष्टाचार से लोग बच सकें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, परिवहन विभाग ।

श्रीमती शीला कुमारी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि:– सारथी–4.0 सॉफ्टवेयर वर्ष–2018 से राज्य में लागू है । सारथी–4.0 सॉफ्टवेयर में Online/Mobile OTP Authentication...

श्री संजय सरावगी : सर, समय की बर्बादी हो रही है जवाब है मेरे पास जो मंत्री जी पढ़ रही हैं।

श्रीमती शीला कुमारी, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो इन्होंने सारथी वाला प्रश्न किया है ऑलरेडी देखिये वर्ष 2018 से और 2021 से लागू है और इस पर काम भी हो रहा है...

श्री संजय सरावगी : मैं बोलता हूं । अध्यक्ष महोदय, दिक्कत क्या है जो...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति बनाये रखें । माननीय मंत्री उनके पूरक प्रश्न का जवाब आपने दे दिया या अभी देना चाहती हैं ।

श्रीमती शीला कुमारी, मंत्री : देना चाहती हूं, महोदय ।

अध्यक्ष : दीजिये ।

श्रीमती शीला कुमारी, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, सारथी-4.0 सॉफ्टवेयर में Online/Mobile OTP Authentication आधारित घर बैठे आवेदन करने की व्यवस्था है । सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा अधिसूचित संख्या-1026(E) दिनांक- 03.03.2021 को बिहार राज्य में यथा स्थिति लागू किये जाने हेतु विभागीय पत्रांक-6352, दिनांक-06.10.2021 द्वारा निर्देश निर्गत किया गया है । निर्देश के आलोक में Aadhar Authentication के आधार पर लाईसेंस निर्गत का कार्य अक्टूबर, 2021 से विभाग द्वारा किया जा रहा है ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय,...

अध्यक्ष : आपने जो दिया है उस पर वे कार्रवाई कर रही हैं ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, जो उत्तर है वही पढ़ दिया गया । हम लोग जब पढ़ने के लिए कहते हैं तो आपका निर्देश मिलता है कि नहीं ऑनलाईन है । अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक स्पष्ट है अगर माननीय मंत्री जी बोल रही हैं कि फेसलेस के माध्यम से और आधार E-KYC

अध्यक्ष : आप शांति बनाये रखिये न ।

श्री संजय सरावगी : महत्वपूर्ण है भाई, पूरे बिहार का मामला है ।

अध्यक्ष : आप कहिये, कहिये ।

श्री संजय सरावगी : अगर माननीय मंत्री जी बोल रही हैं कि आधार E-KYC एवं फेसलेस की सुविधा अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी उपलब्ध है तो अभी कितने लोगों को वह सुविधा मिली आधार E-KYC एवं फेसलेस के माध्यम से जो मेरा प्रश्न है मूल प्रश्न यही है तो ये बतायें और अगर नहीं है तो कब तक ये सुविधा चालू कर देंगे जो आम उपभोक्ता को कार्यालय में नहीं जाना पड़े ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, परिवहन विभाग ।

श्रीमती शीला कुमारी, मंत्री : महोदय,...

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय...

अध्यक्ष : आप बैठिये माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ कह रहे हैं ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री ने बताया है जो हम लोगों ने और सदन के सारे लोगों ने सुना है कि जैसा हमने सुना शायद दिनांक-6 अक्टूबर, 2021 की तिथि इन्होंने बतायी है कि दिनांक-6 अक्टूबर, 2021 से जिस सारथी पोर्टल की बात आप कह रहे हैं बिहार सरकार ने उसको एडॉप्ट करके उसी के आधार पर ऑनलाईन आवेदन लेकर लाईसेंस निर्गत करने की कार्रवाई सरकार कर रही है । इसलिए यह कहना कि बाकी राज्यों ने कर लिया हम लोग नहीं किये हैं वह बात नहीं है । अगर उसमें कोई अतिरिक्त सुझाव आप देना चाहते हैं तो वह दे दीजियेगा सरकार उस पर विचार करेगी ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, ये तो बोले हैं न कि वर्ष 2021 से सुविधा प्रारम्भ है तो यह ओ0टी0पी0 के माध्यम से है । अध्यक्ष महोदय, ओ0टी0पी0 के माध्यम से आवेदन दिया जाता है और सारे पेपर ले जाकर लर्निंग लाईसेंस के लिए जैसे एग्जाम देना है, सबकुछ करना है तो वह ऑफिस में जाये तब वह सुविधा मिलती है । आधार E-KYC और फेस लेस में यह सुविधा है कि आप ऑनलाईन ही 10 में से 6 प्रश्नों का उत्तर दे देंगे तो ऑनलाईन ही आपको ये सारी सुविधा मिल जायेंगी तो अध्यक्ष महोदय, मेरा फिर एक प्रश्न है आधार E-KYC और फेस लेस की सुविधा क्या बिहार में अन्य राज्यों की तरह उपभोक्ता जो हैं भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ें । क्या सरकार इसको लागू करना चाहती है...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग आप एक बार और बोल दीजिये, एक बार और बतला दीजिये ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, अभी कार्यालय में जाना पड़ता है इसको लागू करने से कार्यालय में नहीं जाना पड़ेगा...

अध्यक्ष : कार्रवाई सरकार कर रही है यह बतला दीजिये और नहीं तो उनसे सूचना मांग लीजिये ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, माननीय मंत्री ने बता दिया है, हमने भी कहा है कि जहां तक पोर्टल की बात है बिहार में भी उस पोर्टल के माध्यम से...

अध्यक्ष : शांति बनाये रखें । भाई वीरेन्द्र, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : जो सारथी-4 पोर्टल है उसके माध्यम से दिया जा रहा है अगर आपको लगता है कि उसमें और एडिशनल सर्विसेज दी जायं तो वह आप दे दीजिये लेकिन प्रश्न के जो मूल में लगता है कि बिहार सरकार सारथी पोर्टल एडॉप्ट नहीं कर रही है वैसी स्थिति नहीं है । अन्य राज्यों की भांति बिहार में भी सारथी-4 पोर्टल एडॉप्टेड है और उसमें अगर आपको और कुछ सुविधा

चाहिए तो वह दीजिये जो लाईसेंस होल्डर है या जो गाड़ी मालिक हैं जो गाड़ी ड्राइविंग का लाइसेंस चाहते हैं उनके हित में जो भी अच्छी सुविधा देने की बात होगी सरकार उस पर विचार करेगी ।

अध्यक्ष : सरकार विचार करेगी, गंभीरता से इसपर विचार करिये...

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, पांच सेकेंड...

अध्यक्ष : मैंने कहा कि सरकार गंभीरता से इस पर विचार करेगी...

श्री संजय सरावगी : बस सर पांच सेकेंड । अध्यक्ष महोदय, उत्तर में...

अध्यक्ष : अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे । आप बैठ जाइये, हो गया । सरकार ने कहा कि दीजिये, सरकार गंभीरता से विचार करेगी । माननीय सदस्य श्री अरूण शंकर प्रसाद पूरक पूछिये ।

तारांकित प्रश्न सं0-2613 (श्री अरूण शंकर प्रसाद, क्षेत्र सं0 33, खजौली)

श्री चन्द्र शेखर, मंत्री (लिखित उत्तर) : विश्वविद्यालयों द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार :

1. आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । संबंधित विश्वविद्यालयों में वस्तुतः ऐसे विषय भी हैं जिनमें छात्र/छात्राओं की रूचि कम रहने के कारण नामांकन की संख्या स्वीकृत सीटों की अपेक्षा कम रहती है । छात्रों के नामांकन बढ़ाने एवं पठन-पाठन को सुरूचिकर बनाने के लिए INFLIBNET (Information And Library Network) Govt. of India के सहयोग से विश्वविद्यालयों के लिए पुस्तकालय के लिए किताबें/सामग्री/आधारभूत संरचना पर सरकार द्वारा कार्य किया जा रहा है ।

2. राज्य अंतर्गत उच्च शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से सभी विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय को नैक ग्रेडिंग कराने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है तथा इस हेतु संबंधित प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण कराया जा रहा है ।

3. लंबित परीक्षा सत्रों को नियमित करने हेतु सरकार प्रयासरत है ।

4. यही कारण है कि सकल नामांकन दर 12.1 परसेंट से बढ़कर 15.9 परसेंट हो गयी है । (2020-21) (Aishe Report)

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है लेकिन प्रश्न को गौर से देखा जाय। खंड-1 में मैंने माननीय मंत्री जी से बहुत साधारण सवाल किया है कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा, तिलकामांझी विश्वविद्यालय, भागलपुर, मुंगेर विश्वविद्यालय सहित सभी विश्वविद्यालयों में वर्ष 2022-25 तक स्नातक में 40 फीसदी सीट खाली रह गयी हैं बहुत साधारण सवाल है क्यों खाली रह गयी तो मंत्री जी कहते हैं कि छात्रों की रूचि नहीं है । छात्रों को क्यों रूचि नहीं है आप यह बताइये...

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिये । आप प्रश्न जो किये हैं वह तो इसमें लिखा हुआ है ही ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : महोदय, पूरक ही पूछ रहा हूं । खंड-1 का उत्तर उन्होंने दिया है पढ़ा जाय, संबंधित विश्वविद्यालयों में वस्तुतः ऐसे विषय भी हैं जिनमें छात्र/छात्राओं की रूचि कम रहने के कारण नामांकन की संख्या स्वीकृत सीटों की अपेक्षा कम रहती है तो किन-किन विषयों में छात्रों को रूचि नहीं है और उन विषयों के लिए माननीय मंत्री जी क्या फार्मूला तय करना चाहते हैं यह बतायें ?

श्री चन्द्र शेखर, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, लगता है माननीय सदस्य ठीक से जवाब नहीं पढ़ पाये हैं। उत्तर में स्पष्ट है कि इसको सुरूचिकर बनाने के लिए INFLIBNET से MOU हुआ है जो मेरे ही कार्यकाल में हुआ है जब मैं शिक्षा मंत्री के प्रभार में आया हूं । उसके बाद राज्य अंतर्गत उच्च शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से सभी विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय को नैक ग्रेडिंग कराने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है । कई ट्रेनिंग, तीन ट्रेनिंग हो चुकी हैं इस 7 महीने के अंदर महोदय । लंबित परीक्षा सत्रों को नियमित करने हेतु सरकार जो प्रयास कर रही है वह स्पष्ट है कि उच्चतर शिक्षा परिषद् जो सरकार का है बिहार सरकार का उसकी एक कमेटी बनायी गयी है और मगध विश्वविद्यालय इसमें ज्यादा परेशानी का कारण था तो वहां कई सत्र के परीक्षाफल भी प्रकाशित हो चुके हैं तो इस तरह के सरकार प्रयास कर रही है । महोदय, चौथा उत्तर जो दिया गया है माननीय सदस्य पढ़े होंगे कि वर्ष 2020-21 में सकल नामांकन दर 12.1 परसेंट से बढ़कर 15.9 परसेंट हो गयी है ।

क्रमशः

टर्न-4/मुकुल/28.03.2023

क्रमशः

श्री चन्द्र शेखर, मंत्री : तो धीरे-धीरे यह बढ़ रही है महोदय, इसलिए सरकार प्रयासरत है । माननीय सदस्य कोई दूसरा पूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो सुझाव दिया है कि हम ये-ये प्रयास कर रहे हैं, उसमें इन्होंने नैक की बात की है और नैक का काम है कॉलेजों की ग्रेडिंग का । इससे कॉलेजों की ग्रेडिंग हो जायेगी तो छात्र उससे कॉलेज तय कर सकेंगे कि मुझे किस कॉलेज में जाना है, यह नैक का यह काम है तो इससे आपका नामांकन कैसे बढ़ जायेगा, क्या आधारभूत संरचना की स्थिति आपको अपने महाविद्यालयों के संबंध में पता है कि उसकी आधारभूत संरचना ठीक

है, उसमें गुणवत्ता की क्या स्थिति है, इस संदर्भ में तो माननीय मंत्री जी बतायें क्योंकि मैं प्रश्न आपके विभाग से कर रहा हूं, संस्थाएं बन रही हैं वे संस्थाएं इसको प्रोत्साहित करेंगी लेकिन कॉलेज क्या करेगा महोदय, मंत्रालय क्या करेगी, आपका विभाग क्या करेगा, हमें यह बताइये ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री चन्द्र शेखर, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य और सदन के लिए इतनी जानकारी देना श्रेयस्कर होगा कि विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए सरकार के जो प्रयास हो रहे हैं लगभग 4000 के आसपास शिक्षकों की बहाली का । फिर उसके लिए हाईकोर्ट में अभी रोक लगी है तो बाधा खड़ी हो गई है, लेकिन विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी न रहे, इसके लिए सरकार तत्पर है और विश्वविद्यालयों को निदेश दिये गये हैं कि आप अतिथि शिक्षकों की बहाली कीजिए। यह जो किताबों को पढ़ने-लिखने की ऑनलाइन सुविधा होगी, इसके लिए एम0ओ0यू0 किया गया है और नैक ग्रेडिंग तो उसी महाविद्यालय का होता है जहां सब कुछ आधारभूत संरचना से लेकर और सारे शिक्षण का कार्य अच्छा होता है । इसके लिए और क्या उपाय किये जा सकते हैं उसके बारे में माननीय सदस्य हमें बतायें ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं, यह फेंकने वाली बात है, शिक्षा विभाग है और शिक्षा विभाग को कहीं-न-कहीं...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कोई स्पेसिफिक पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं स्पेसिफिक पर ही आ रहा हूं । इनके अधिकारियों को बुद्धि का अहंकार हो गया है और प्रश्न कुछ रहता है उसमें जवाब कुछ देते हैं। हम एक महाविद्यालय अपने विधान क्षेत्र का इनको बता रहे हैं डी0बी0 कॉलेज, जहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी दिसंबर, 2019 में जाकर यह घोषणा कर दिये थे कि हम इसको विकसित करेंगे, इसका हम सब कुछ करेंगे, नैक की ग्रेडिंग होने के बावजूद आज तक वहां पर भवन बनने की कार्रवाई नहीं हुई, शिक्षकों का तांता लगा हुआ है लेकिन वे कहां पर बैठकर पढ़ायेंगे, एक छात्र तक नहीं आ रहा है वहां पर भवन नहीं है । महोदय, यह जिले का सबसे प्रतिष्ठित महाविद्यालय है तो ये कैसे चाहते हैं कि बिहार में उच्च शिक्षा में सुधार होगा, क्या इसके बारे में माननीय मंत्री जी बताना चाहेंगे ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री चन्द्र शेखर, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जिस पार्टिकुलर कॉलेज के बारे में सवाल कर रहे हैं तो ये उसकी जानकारी हमसे अलग से ले लेंगे ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, हमने तो माननीय मंत्री जी को स्पेसिफिक बता दिया है, ये स्पेसिफिक मांगते हैं, माननीय मंत्री महोदय स्पेसिफिक जानकारी मांगते रहते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अरूण शंकर प्रसाद जी हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप कुछ स्पेसिफिक और वह कॉलेज जहां पर मुख्यमंत्री जी गये थे, आप उसको लिखकर के, चूंकि मुख्यमंत्री गये थे जैसा कि आप बोल रहे हैं, इसके बारे में आप लिखकर के माननीय मंत्री जी को दे दीजिएगा और मंत्री जी उसको दिखवा लेंगे और दिखवाने के बाद जो समुचित कार्रवाई होनी चाहिए उस कार्रवाई को करेंगे । माननीय सदस्य, श्री नरेन्द्र नारायण यादव ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, हम तो माननीय मंत्री जी को कह ही दिये हैं, अब आप बैठ जाइये ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : महोदय....

अध्यक्ष : अरूण बाबू, आसन ने कह दिया है । आपने जो प्रश्न उठाया है, मैंने कहा कि आप उसके बारे में स्पेसिफिक लिखकर दे दीजिए ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, लिखकर तो हम दे देंगे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप लिखकर दे दीजिएगा लेकिन मैंने यह भी कहा कि माननीय मंत्री जी उस पर समुचित कार्रवाई भी करेंगे ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : महोदय, मेरा कहना है कि पूरे बिहार में उच्च शिक्षा में सुधार हो ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सरकार सुधार की दिशा में अपने स्तर से कार्रवाई कर रही है । माननीय सदस्य, श्री नरेन्द्र नारायण यादव ।

तारांकित प्रश्न सं0-2614 (श्री नरेन्द्र नारायण यादव, क्षेत्र सं0-70, आलमनगर)

(लिखित उत्तर)

श्री जितेन्द्र कुमार राय, मंत्री : महोदय, (1) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अंतर्गत प्रत्येक प्रखण्ड में एक आउटडोर स्टेडियम निर्माण का लक्ष्य है ।

मधेपुरा जिला अंतर्गत आलमनगर प्रखण्ड के उच्च विद्यालय, खापुर में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-103, दिनांक-13.06.2017 द्वारा दी जा चुकी है ।

जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक-94, दिनांक-25.03.2023 के साथ संलग्न अनुलग्नक पत्र कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मधेपुरा के पत्रांक-504,

दिनांक–25.03.2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त स्टेडियम का फिनिसिंग कार्य प्रगति पर है । संभवतः माह अप्रैल, 2023 में कार्य पूर्ण हो जाएगा ।

ग्राम पंचायत स्तर पर स्टेडियम निर्माण की योजना वर्तमान में संचालित नहीं है ।

(2) उत्तर खण्ड–1 में सन्निहित है ।

श्री नरेन्द्र नारायण यादव : महोदय, मैं पूरक प्रश्न पूछता हूं, मुझे उत्तर प्राप्त है । अध्यक्ष महोदय, मेरा एक पूरक प्रश्न है कि मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकार जब पंचायत स्तर पर स्टेडियम का निर्माण भविष्य में करायेगी तो क्या खुरहान मध्य विद्यालय के प्रांगण को उसमें जोड़ने का प्रयास किया जायेगा ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग ।

श्री जितेन्द्र कुमार राय, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर तो स्पष्ट है लेकिन मैं फिर से उत्तर को पढ़ देता हूं । वस्तुस्थिति यह है कि मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अंतर्गत प्रत्येक प्रखण्ड में एक आउटडोर स्टेडियम निर्माण का लक्ष्य है ।

मधेपुरा जिला अंतर्गत आलमनगर प्रखण्ड के उच्च विद्यालय, खापुर में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–103, दिनांक–13.06.2017 द्वारा दी जा चुकी है ।

जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक–94, दिनांक–25.03.2023 के साथ संलग्न अनुलग्नक पत्र कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मधेपुरा के पत्रांक–504, दिनांक–25.03.2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त स्टेडियम का फिनिसिंग कार्य प्रगति पर है । संभवतः माह अप्रैल, 2023 में कार्य पूर्ण हो जाएगा ।

ग्राम पंचायत स्तर पर स्टेडियम निर्माण की योजना वर्तमान में संचालित नहीं है । महोदय, उत्तर को हमने स्पष्ट पढ़ दिया है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया, क्या आप इसके लिए कोई पूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं ।

श्री नरेन्द्र नारायण यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि भविष्य में जब सरकार पंचायत स्तर पर स्टेडियम का निर्माण करेगी तो क्या खुरहान के मध्य विद्यालय के प्रांगण को उसमें सम्मिलित किया जायेगा ।

श्री जितेन्द्र कुमार राय, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो भावना है तो निश्चित रूप से आगे भविष्य में अगर पंचायत स्तर पर कोई योजना होगी तो हमलोग प्राथमिकता के आधार पर इसको कर देंगे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री महा नंद सिंह ।

तारांकित प्रश्न सं0-2615 (श्री महा नंद सिंह, क्षेत्र सं0-214, अरवल)

(लिखित उत्तर)

डॉ0 रामानन्द यादव, मंत्री : (1) उत्तर अस्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि समाहर्त्ता, अरवल के पत्रांक-332, दिनांक-21.03.2023 द्वारा प्रतिवेदित है कि अरवल जिलान्तर्गत सोन नदी के बालू का उत्खनन एवं प्रेषण अनुमोदित खनन योजना (Approved Mining Plan)एवं बिहार राज्य पर्यावरण समाघात (प्रभाव) निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा निर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति में निर्धारित क्षेत्र से निर्धारित मात्रा में बालू का खनन किया जा रहा है, जिससे सड़क तथा फसल की क्षति नहीं हुई है ।

बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली 2019 (यथा संशोधित) के अनुसार नदी के अखनित तल से बालू उत्खनन की अधिकतम गहराई 03 मीटर अथवा जल स्तर तक, जो भी कम हो, किया जाता है । इससे स्पष्ट है कि बालू के उत्खनन से जलस्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ।

(2) उत्तर अस्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि समाहर्त्ता, अरवल के निदेश पर कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमण्डल, अरवल द्वारा जांच किया गया एवं जांचोपरांत पत्रांक-361, दिनांक-18.03.2023 के द्वारा समाहर्त्ता, अरवल को प्रतिवेदित किया गया है कि अरवल एवं कलेर प्रखंड के विभिन्न स्थानों पर कराये गये सर्वे में भूमिगत जलस्तर का ट्रेंड अलग-अलग पाया गया है । वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 के जुलाई से दिसम्बर महीने में जलस्तर नीचे पाया गया है, जिसका मुख्य कारण औसत से कम वर्षा का होना है ।

(3) उपरोक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

वस्तुस्थिति यह है कि राज्यान्तर्गत सभी जिला में समाहर्त्ता द्वारा बन्दोबस्ती/स्वामित्व की राशि का 2 प्रतिशत राशि काट कर जिला खनिज निधि (District Mineral Fund) में रखा जाता है एवं समाहर्त्ता द्वारा खनन प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक और कल्याण परियोजनाओं में उक्त राशि से कार्य कराया जाता है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री महा नंद सिंह । क्या आपको प्रश्न का जवाब मिल गया है ?

श्री महा नंद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मिल गया है ।

अध्यक्ष : ठीक है । अब आप अपना पूरक प्रश्न पूछें ।

श्री महा नंद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे प्रश्न का जो जवाब मिला है वह सही नहीं है । महोदय, अरवल और कलेर प्रखण्ड के सोहसा, कमता, लक्ष्मणपुर बाथे, वैना, अमरा, अरवल, दूना, छपरा ये जगहें हैं जहां से बालू निकाला जाता है और उससे जितने भी लिंक सड़कें हैं वे सारी लिंक सड़कें खराब हैं, आना-जाना मुश्किल है, गड्ढा हो गया है और जवाब में कहा गया है कि कोई खराब नहीं हुआ है । इसलिए पहले तो हमें जवाब सही नहीं मिला है । दूसरी बात है कि फसल के बारे में हमने तीन साल किया था सड़क खराब, फसल बर्बादी और पानी का वाटर लेवल जो है यानी जल स्तर नीचे जाने का सवाल था, ये तीनों सवालों का जवाब सही नहीं मिला है । अध्यक्ष महोदय, हम यह कहना चाहते हैं कि उस इलाके में जहां पर सड़कें बनाई जाती हैं किसान से लेकर और उससे जो धूल उड़ती है, इतनी धूल उड़ती है कि अगल-बगल करीब दोनों तरफ 100 फीट-100 फीट, दोनों तरफ.

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप पूरक प्रश्न पूछ लीजिए, इससे आपको ज्यादा लाभ मिलेगा ।

श्री महा नंद सिंह : महोदय, अगर इसके संदर्भ को नहीं समझेंगे तो पूरक प्रश्न भी समझ में नहीं आयेगा ।

अध्यक्ष : नहीं, नहीं । आपने अपने प्रश्न में ही इन सारी बातों को लिख दिया है ।

श्री महा नंद सिंह : महोदय, वहां पर फसल धूल से बर्बाद हो जाती है और उसकी कोई व्यवस्था नहीं है, न पानी छिड़कने की व्यवस्था है और न कोई दूसरी व्यवस्था है इससे फसल नहीं हो पाती है । सड़क बर्बाद है, फसल बर्बाद हो गयी है और उस इलाके में, हम यह कहना चाहते हैं कि फसल की सुरक्षा के लिए और सड़क निर्माण के लिए यह मेरा पहला पूरक प्रश्न है कि इस संबंध में सरकार क्या सोचती है, इस पर सरकार कौन से ठोस कदम उठायेगी ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग ।

डॉ0 रामानन्द यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के सवाल का जवाब दिया गया है कि समाहर्त्ता, अरवल के पत्रांक-332, दिनांक-21.03.2023 द्वारा प्रतिवेदित है कि अरवल जिलान्तर्गत सोन नदी के बालू का उत्खनन एवं प्रेषण अनुमोदित खनन योजना (Approved Mining Plan) एवं बिहार राज्य पर्यावरण समाघात (प्रभाव) निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा निर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति में निर्धारित क्षेत्र से निर्धारित मात्रा में बालू का खनन किया जा रहा है । अध्यक्ष महोदय, मैंने समाहर्त्ता, अरवल से जांच कराई है और जहां तक माननीय सदस्य का कहना है...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, अरवल के समाहर्त्ता ने जांच की क्या रिपोर्टिंग की है ?

डॉ0 रामानन्द यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं वही तो पढ़ रहा हूं । अध्यक्ष महोदय, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली 2019 (यथा संशोधित) के अनुसार नदी के अखनित तल से बालू उत्खनन की अधिकतम गहराई 03 मीटर अथवा जल स्तर तक, जो भी कम हो, किया जाता है । इससे स्पष्ट है कि बालू के उत्खनन से जलस्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और माननीय सदस्य ने पूरक में जो प्रश्न किया है कि बालू उत्खनन से फसल की सुरक्षा एवं सड़क की मरम्मति एवं अन्य नागरिक सुविधा नहीं प्रदान की गयी है ।

क्रमशः

टर्न-5/यानपति/28.03.2023

डॉ0 रामानन्द यादव, मंत्री (क्रमशः): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जिला अंतर्गत राज्य के सभी जिला में डी0एम0 को निर्देशित किया गया है कि जहां-जहां घाट का उत्खनित होता है 2 परसेंट काटकर के जो उसे क्षति होती है, रोड हो या चापाकल या जो भी हो वह विकास कार्य करेंगे । इसमें भी निर्देशित है कि राज्य अंतर्गत सभी जिला में समाहर्ता द्वारा बंदोबस्ती स्वामित्व की राशि की दो प्रतिशत राशि काटकर जिला खनिज निधि में रखा जाता है एवं समाहर्ता द्वारा खनन प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक और कल्याण परियोजनाओं में उक्त राशि से कार्य कराया जाता है । डी0एम0 से मैंने जांच, अगर माननीय सदस्य का कुछ है तो और जिनसे कहें मैं जांच करा देता हूं ।

श्री महानंद सिंहः महोदय, पहला जो प्रश्न था वह सड़क सोहसा से लेकर अरवल तक आने में जितना भी घाट है महोदय, सोहसा, लक्ष्मणपुर बाथे जहां लक्ष्मणपुर बाथे में बड़ा जनसंहार हुआ था, वह सड़क अब आने-जाने लायक नहीं है महोदय । यह कमता, बैना, अमरा सब सड़कें जीर्ण-शीर्ण हो गई हैं ।

अध्यक्षः आपको क्या पूछना है, क्या चाहते हैं ?

श्री महानंद सिंहः महोदय, हम चाहते हैं कि वह सड़क बनवाया जाय पहला, दूसरा कि फसल बर्बाद होता है उन किसानों के फसल का मुआवजा देने का विचार रखती है या नहीं सरकार, यह था मेरा पूरक सवाल । अब दूसरा जो था पूरक कि खनन जहां निर्बाध गति से जो निकाला जा रहा है, 3 मीटर की बात कह रहे हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं महोदय.....

अध्यक्षः नहीं, अभी ठीक कह रहे थे, कहिए न तीसरा कहिए ।

श्री महानंद सिंहः दूसरा मेरा महोदय है.....

अध्यक्षः दूसरा कहां से, तीसरा ।

श्री महानंद सिंह: अच्छा तीसरा ही महोदय कि वहां 25 से 30 फीट जो नीचे गहरा करके निकाला जाता है जिससे मलही पट्टी में 4 बच्चों की डूब जाने से मौत हो गई उसी गड्ढा के कारण महोदय । जनकपुर घाट में एक, उसके बाद कमता मठिया, बेलांव यह सब जो बालू घाट से निकालने के बाद फिर जो भरने का प्रावधान है महोदय वह नहीं भरा जाता है । इस वजह से वहां लोगों की प्राय: डूबने से मौत हो जाती है और जलस्तर मैं कह रहा हूं महोदय कि कमता में 15 से 20 चापाकल सूख गए हैं, सोहसा में 15 से 20 चापाकल सूख गए हैं, यह सोनतटीय इलाके में जब से बालू महोदय.....

अध्यक्ष: महानंद बाबू । आपने प्रश्न किया, जवाब मिला और आप पूरक पूछ रहे हैं । आप बहुत देर से पूछ रहे हैं ।

श्री महानंद सिंह: जलस्तर नीचे चला गया है महोदय, जिसको स्वीकार भी किए हैं ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी ।

डॉ0 रामानंद यादव, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैंने इनको जवाब में ही कहा था कि समाहर्ता अरवल के निर्देश पर कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, अरवल द्वारा जांच किया गया एवं जांचोपरांत पत्रांक-361, दिनांक-18.03.2023 के द्वारा समाहर्ता अरवल को प्रतिवेदित किया गया कि अरवल एवं कलेर प्रखंड के विभिन्न स्थानों पर कराए गए सर्वे में भूमिगत जलस्तर का ट्रेंड अलग-अलग पाया गया है । वर्ष-2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 के जुलाई से दिसंबर महीने में जलस्तर नीचे पाया गया है जिसका मुख्य कारण है कि औसत से कम वर्षा होने का है ।

श्री महा नंद सिंह: महोदय, इसकी जांच करवाई जाय । महोदय, इसकी फिर से जांच करवा दी जाय ।

अध्यक्ष: अच्छा, आप स्थान ग्रहण कीजिए । माननीय मंत्री जी, आप अपने स्तर से मुख्यालय से किसी को भेजकर के माननीय सदस्य जो कह रहे हैं जांच करवा लीजिए, ऐसे सरकारी जवाब में तो आपने कहा ही है कि इस तरह के नियम हैं और उस नियम के मुताबिक जो समस्या होती है उस समस्या का निदान सरकार कराती है परंतु किसी को भेजकर के दिखलवा लीजिए ।

डॉ0 रामानंद यादव, मंत्री: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य आ जायेंगे, जिनसे चाहें उनसे हम जांच करा देंगे ।

अध्यक्ष: आसन ने कह दिया । माननीय सदस्य श्री अमरजीत कुशवाहा । मंटू जी ।

श्री कृष्ण कुमार मंटू: अध्यक्ष महोदय, बालू माफियाओं द्वारा आरा-छपरा पुल पर कब्जा कर लिया गया है और अब तो छपरा से रेवाघाट तक कब्जा कर लिया गया है, गांव की गली-गली, मुहल्ला-मुहल्ला अवैध ट्रैक्टर, ट्रक से लोग परेशान हैं.....

अध्यक्ष: माननीय सदस्य मंटू जी, इससे जुड़ा हुआ नहीं है, अलग से आप पूछिएगा ।

श्री कृष्ण कुमार मंटू: खनन से जुड़ा हुआ मामला है । कोई जांचनेवाला नहीं है, कोई देखनेवाला नहीं है । मंत्री महोदय कोई अधिकारी.....

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आप सूचना ग्रहण कीजिएगा । मैंने दे दिया आप बैठ जाइये । माननीय सदस्य श्री अमरजीत कुशवाहा ।

(व्यवधान)

मैंने कहा सरकार सूचना ग्रहण करे और देख ले जो सूचना वह दे रहे हैं उसके ऊपर मैंने कहा कि सरकार देखे ।

(व्यवधान)

आप माननीय पुराने सदस्य हैं और मंटू जी का नहीं था ।

(व्यवधान)

राघवेन्द्र बाबू पूछिए ।

(व्यवधान)

आप शांति बनाए रखें ।

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह: अध्यक्ष महोदय, बालू के उत्खनन से सारे के सारे जिले के लोग तबाह हो गए हैं, हमलोग जब पटना आते हैं तो कोईलवर पुल से लेकर के और बिहटा तक जो जाम की स्थिति रहती है कभी-कभी सदन में, हमलोग मजबूर होकर आरा लौट जाते हैं । यह बालू का उत्खनन जो है सोन नदी में स्थिति यह हो गई है कि कुछ दिनों में सोन नदी एक नाले में तब्दील हो जाएगा । जो उनकी व्यथा है वह सिर्फ उनकी व्यथा नहीं है, यह सारे लोगों की व्यथा है । इसलिए हम आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहेंगे कि बालू का उत्खनन आप कृपा करके यदि हमलोगों को बचाना चाहते हैं तो बालू का उत्खनन आप सोन नदी में बंद कराइये ।

अध्यक्ष: माननीय राघवेन्द्र बाबू, आपने जानकारी दी और मैंने सरकार को पूर्व में ही कह दिया है कि अपने स्तर से दिखवा लीजिएगा और जो उचित कार्रवाई होगी वह कीजिएगा । माननीय सदस्य, श्री अमरजीत कुशवाहा ।

(व्यवधान)

आपकी पीड़ा के संबंध में माननीय मंत्री जी स्वयं दिखवाएंगे और आपको पीड़ा से मुक्ति दिलाने की दिशा में समुचित कार्रवाई करेंगे । माननीय सदस्य श्री अमरजीत कुशवाहा ।

तारांकित प्रश्न सं0-2616 (श्री अमरजीत कुशवाहा, क्षेत्र सं0-106 जीरादेई)

(लिखित उत्तर)

श्री चन्द्र शेखर, मंत्रीः (1) अध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालय से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार वस्तुस्थिति यह है कि जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा के अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों में स्नातक स्तर की परीक्षाएं परीक्षार्थियों के गृह जिले में आयोजित होती है ।

सिर्फ स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षाएं मुख्यालय परिसर में आयोजित होती हैं ।

(2) अस्वीकारात्मक है ।

विश्वविद्यालय से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवागमन के साधन पर्याप्त होने के कारण कठिनाइयां नगण्य हैं ।

(3) विश्वविद्यालय में प्राप्त प्रतिवेदनानुसार अकादमिक आकस्मिकताएं, विद्यार्थी एवं विश्वविद्यालय हित में स्नातकोत्तर की परीक्षा मुख्यालय परिसर में आयोजित होती हैं । यह व्यवस्था सफल एवं सक्षम है ।

श्री अमरजीत कुशवाहाः महोदय, मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसके खंड-2 में विश्वविद्यालय से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवागमन का साधन पर्याप्त होने के कारण कोई कठिनाई नहीं होती है ।

(व्यवधान)

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, आपने जवाब दे दिया है ।

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्रीः मैं आठवीं बार सदन में हूं, मैं बालू की तरफ देखता भी नहीं हूं। जो वहां गोली चल रही है और जिस तरह की स्थिति है इसलिए मैंने कहा ।

अध्यक्षः माननीय सदस्य राघवेन्द्र बाबू ।

डॉ0 रामानंद यादव, मंत्रीः गोली चली थी तो मामला हुआ था आप नहीं थे । आपका क्षेत्र भी था । आपके क्षेत्र में भी मैंने जांच किया जिसमें फाइन किया है ।

(व्यवधान)

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, आपको मैंने नहीं पुकारा है । माननीय सदस्य आपको समय दिया गया आप स्थान ग्रहण कीजिए, आपने कह दिया । माननीय सदस्य श्री अमरजीत कुशवाहा, आप पूरक पूछिए ।

(व्यवधान)

माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप बैठ जाइये किन्हीं का प्रश्न हो रहा है, उनको आप हेल्प कीजिए । आप नेता प्रतिपक्ष हैं आपकी जिम्मेदारी है उनको हेल्प कीजिए।

श्री अमरजीत कुशवाहा: महोदय, छपरा जे0पी0 विश्वविद्यालय में तीन जिला से छात्र परीक्षा देने के लिए आते हैं जिसमें सीवान और गोपालगंज जिला काफी सुदूर पड़ता है । उसमें जो कहा गया है कि जो छात्र-छात्राएं परीक्षा देने के लिए जे0पी0 यूनिवर्सिटी में आते हैं उनकी दूरी खासकर के गोपालगंज जिला से जो भोरे और विजयपुर से जो बच्चे आते हैं उनकी दूरी काफी है और साथ ही साथ हमलोग देखते हैं कि ट्रेन जो है आम तौर पर कैंसिल हो जाती है जिस वजह से छात्र परीक्षा में शामिल नहीं हो पाते हैं और महोदय कह रहे हैं कि छात्रों को कोई कठिनाई नहीं है, बिल्कुल उत्तर असत्य है । हम मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि छात्रहित को ध्यान में रखते हुए जो सबसे जरूरी है कि अगर जिला मुख्यालय के ही कॉलेज में परीक्षा करा लिया जाएगा तो उसमें मंत्री जी को क्या दिक्कत है । हम तो समझ रहे हैं कि वहीं कराना चाहिए ।

अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण कीजिए, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

टर्न-6/अंजली/28.03.2023

श्री चन्द्र शेखर, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न में दो बातें कही हैं यू0जी0 और पी0जी0 के बारे में, तो मैं माननीय सदस्य और सदन को यह जानकारी देना चाहता हूं कि जे0पी0 यूनिवर्सिटी की यू0जी0 की परीक्षा जिला हेडक्वार्टर में ही होती है । दूसरा सवाल है स्नातकोत्तर का, पी0जी0 का, जो विश्वविद्यालय से प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं उस हिसाब से छात्र हित में, अकेडमी के हित में, विश्वविद्यालय हित में सफल और सक्षम आयोजन मुख्यालय में होता है, यूनिवर्सिटी मुख्यालय में और यह प्रतिवेदन आया है, विश्वविद्यालय उस पर संतुष्ट है कि हम सफल और सक्षम रूप से परीक्षा आयोजित कर पाते हैं । अब माननीय सदस्य की जो जिज्ञासा है उस मामले में मैं इतना कह सकता हूं कि यह पूरी तरह से एक स्वायत्त संस्था विश्वविद्यालय है और उसका अपना क्षेत्राधिकार है । उसमें सरकार का हस्तक्षेप इन प्रशासनिक मामलों में नहीं हो पायेगा । इसलिए मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि निश्चित रूप से इस बात से आप संतुष्ट हों । रही विश्वविद्यालय को सलाह देने की बात तो ऐसी डिमांड आ रही है अगर ऐसी आवश्यकता होगी विश्वविद्यालय को सरकार लिखकर देगी, विश्वविद्यालय उस पर विचार करेगी ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : महोदय, हमलोग जो यहां बैठे हुए हैं, विधान सभा बिहार की सबसे बड़ी संस्था है और यहां जब बात कर रहे हैं तो मंत्री जी लाचारी दिखा रहे हैं । हम यह कहना चाहते हैं कि वहां के जो छात्र, आम तौर पर हमलोग सुनते हैं, महोदय, आपका भी जिला है, आप पता करा लीजिए कि छात्रों की परीक्षा आम

तौर पर ट्रेन कैंसिल की वजह से छूट जाती है और ज्यादा दिक्कत छात्राओं की होती है । स्टेशन से जो विश्वविद्यालय बना है, काफी इंटीरियर एरिया में है, जहां 6 किलोमीटर बच्चों को पैदल चलकर जाना पड़ता है, इन सारी कठिनाइयों को देखते हुए अगर मंत्री महोदय से संभव है या सरकार से संभव है तो क्या इस पर आदेश निर्गत नहीं किया जा सकता है ? महोदय, मैं तो समझ रहा हूं कि तमाम कठिनाइयों को देखते हुए इस पर आदेश निर्गत होना चाहिए, क्योंकि बहुत दिक्कत है गोपालगंज के लड़कों को, 140 किलोमीटर, अगर वही एग्जाम गोपालगंज में होता, वही एग्जाम सिवान में हो जाता तो मोटरसाइकिल से भी बच्चे आकर एग्जाम दे सकते थे और अगर पी0जी0 की ही बात है तो मैं समझता हूं कि इसके लिए सरकार को नियम बनाना चाहिए कि बच्चों को वहां सुविधाजनक, पूरे बच्चों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैं कह रहा हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिए । माननीय मंत्री, एक बार और आप बता दीजिए जो इसके पहले कहे हैं । लेकिन मैं कहूंगा कि वास्तव में जो दूरी की बात कर रहे हैं वह तो दूर है, खासकर बच्चियों के लिए है लेकिन आपने स्वायत्तता की बात कही यह भी बात आपका कहना सही है परंतु जो समस्या वे दिखा रहे हैं गोपालगंज और सिवान के लिए, वे दोनों वहां से चलकर के जे0पी0 यूनिवर्सिटी छपरा आते हैं वास्तव में दूरी है । इसलिए आप भी, नियम कानून के तहत सरकार भी बंधी हुई है लेकिन सहानुभूतिपूर्वक समस्या का कैसे निदान किया जाय इसके संबंध में जहां आपके विचार की जरूरत होगी, सकारात्मक विचार अपने स्तर से देने का काम आप करें । माननीय मंत्री जी ।

श्री चन्द्र शेखर, मंत्री : महोदय, ठीक है विचार करेंगे ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : धन्यवाद महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-2617 (श्री अजय कुमार सिंह, क्षेत्र संख्या-166, जमालपुर)</u>

श्री सुनील कुमार, मंत्री (लिखित उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, स्वीकारात्मक है । बिहार राज्य में अप्रैल, 2016 से मद्यनिषेध नीति लागू है, जिसके तहत शराब का सेवन, बिक्री एवं व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध है ।

मद्य निषेध नीति लागू करने के लिए सरकार पूर्ण रूप से कटिबद्ध है । जिसका कार्यान्वयन प्रभावी ढंग से किया जा रहा है । राज्य में 84 चेकपोस्ट स्थापित किया गया है, जिसमें 05 समेकित जांच चौकी यथा-कर्मनाशा (कैमूर), डोभी (गया), बलथरी (गोपालगंज), रजौली (नवादा) एवं दालकोला (पूर्णिया) कार्यरत हैं । जहां 24X7 जांच की जा रही है । प्रभावकारी छापामारी के तहत 36

ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त 30 श्वान दस्ता (Dog Squad) का भी उपयोग किया जा रहा है । राज्य में गंगा नदी और सहायक नदियों में लगातार छापेमारी एवं गश्ती की जा रही है । जिसमें 07 हाई स्पीड बोट, 08 इनफैटेवल बोट तथा 17 उडेन बोट का उपयोग किया जा रहा है । पीने वाले व्यक्तियों को पकड़ने के लिए 1040 ब्रेथ एनालाईजर का उपयोग किया जा रहा है । विभाग द्वारा 04 हैंड स्कैनर का उपयोग किया जा रहा है, जो वाहनों में छुपाये गये शराब को स्कैन कर पकड़ा जाता है । विभाग में अत्याधुनिक आसूचना केंद्र स्थापित किया गया है, जिसमें आसूचना प्राप्त होने पर त्वरित कार्रवाई की जाती है । आसूचना केंद्र में दिनांक-12.03.2018 से 22.02.2023 तक 224643 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसके विरुद्ध 223998 छापेमारी की गई है । इन छापेमारी में 9844 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है ।

श्री अजय कुमार सिंह : महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब सकारात्मक है लेकिन इस दिशा में...

अध्यक्ष : अब इसमें लेकिन कहां से आ गया जब उत्तर सकारात्मक है तब ?

श्री अजय कुमार सिंह : महोदय, सकारात्मक है लेकिन इस दिशा में और बेहतर प्रयास की संभावना सरकार को खोजनी चाहिए । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-2618 (श्री कृष्ण कुमार मंटू, क्षेत्र संख्या-120, अमनौर)</u>

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री कृष्ण कुमार मंटू । पूरक पूछिये ।

श्री कृष्ण कुमार मंटू : महोदय, जवाब नहीं मिला है । हम मंत्री जी से चाहेंगे कि एक बार जवाब पढ़ दें तो बेहतर होगा ।

अध्यक्ष : जवाब नहीं मिल पाया है । माननीय मंत्री, परिवहन विभाग ।

श्रीमती शीला कुमारी, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, 1. उत्तर स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय अधिसूचना संख्या-1119, दिनांक-06.02.2019 के द्वारा बिहार मोटरयान (संशोधन) नियमावली, 2019 के माध्यम से बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के नियम 68 के उपनियम (1) एवं (2) तथा नियम 69 के उपनियम (1) एवं (2) में संशोधन कर परमिट निर्गमन हेतु शक्ति का प्रत्यायोजन जिला परिवहन पदाधिकारी को किया गया है ।

2. अस्वीकारात्मक है । एक ही कार्यालय से वाहन का निबंधन एवं परमिट निर्गमन से होने वाले वाहन स्वामियों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये मंत्रिपरिषद के अनुमोदन से बिहार मोटरयान (संशोधन) नियमावली, 2019 अधिसूचित किया गया है, जिसके तहत मालवाहक वाहनों के मालवाहक परमिट/राष्ट्रीय परमिट के

निर्गमन की शक्ति का प्रत्यायोजन संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी को किया गया है ।

3. वाहन स्वामियों की सुविधा एवं सभी निबंधित व्यवसायिक वाहनों के परमिट प्राप्ति के लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुये मालवाहक/राष्ट्रीय परमिट निर्गमन की शक्ति जिला परिवहन पदाधिकारी को प्रत्यायोजित की गई है । इससे वाहन स्वामी को परमिट हेतु प्रमंडलीय मुख्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री कृष्ण कुमार मंटू : महोदय, एक पूरक है, लेकिन पहले माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे क्योंकि इन्होंने सकारात्मक जवाब दिया है । लेकिन कब तक, चूंकि बिहार का मामला है । पूरे बिहार के वाहन के लिए...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदया ने आपके प्रश्न का बहुत अच्छा जवाब दिया है ।

श्री कृष्ण कुमार मंटू : महोदय, कब तक कर देंगे, कोई समय सीमा निर्धारित कर देते तो बेहतर होता, क्योंकि उनलोगों को खुशी होती और मेरे साथ-साथ, सब लोग मंत्रीजी को धन्यवाद देते, चूंकि पूरे बिहार का मामला है और सारे वाहन मालिक बिहार की जनता हैं और बिहार के प्रति सबलोग समर्पित रहते हैं । माननीय मंत्री जी से हम जानना चाहते हैं कि कब तक कर देंगे ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदया, कब तक करा देंगे ।

श्रीमती शीला कुमारी, मंत्री : महोदय, जल्दी ही करवा देंगे ।

श्री कृष्ण कुमार मंटू : पूरे बिहार के वाहन मालिकों की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अरूण शंकर प्रसाद ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-2619 (श्री अरूण शंकर प्रसाद, क्षेत्र संख्या-33, खजौली)</u>

श्री चन्द्र शेखर, मंत्री (लिखित उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि उच्च माध्यमिक विद्यालय में जहां पांच सौ से अधिक पुस्तकें होंगी वहां एक पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान है । उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्षों के 2789 स्वीकृत पद के विरुद्ध उपलब्ध रिक्त पदों की संख्या-893 है । इस क्रम में अंकित करना है कि पुस्तकालयाध्यक्ष के लिए पद का सृजन वर्ष 2007 में हुआ था । इस पद पर नियोजन की कार्रवाई वर्ष 2008 में प्रारंभ हुई, जो वर्ष 2019 में पूर्ण हो सका । विलंब का मुख्य कारण अभ्यर्थियों द्वारा माननीय न्यायालय में विभिन्न याचिकाओं का दायर करना था । वर्ष 2020 में नई नियमावली गठित हुई है । इसके आलोक में ''पुस्तकालयाध्यक्ष पात्रता परीक्षा'' उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी ही पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन देने के पात्र होंगे । ध्यातव्य हो कि वर्तमान में 6421 नवस्थापित एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्ष का

पद सृजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । पुस्तकालयाध्यक्षों की आवश्यकता का आकलन करते हुए ''पुस्तकालयाध्यक्ष पात्रता परीक्षा'' का आयोजन करने के उपरांत पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति की कार्रवाई की जायेगी ।

महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के संबंध में राजभवन द्वारा निर्गत परिनियम एवं सातवें वेतन पुनरीक्षण का लाभ प्रदान करने संबंधी संकल्प में महाविद्यालयों के अंतर्गत सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/पुस्तकालय सहायक के पद तृतीय श्रेणी के गैर-शैक्षणिक पद हैं । गैर शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति हेतु विभागीय स्तर पर सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है तथा सभी विश्वविद्यालयों को तृतीय श्रेणी के स्वीकृत एवं रिक्त पदों की विवरणी विभागीय पोर्टल पर अपलोड किया जाना है । इसके पश्चात् विहित प्रक्रिया के अनुसार रोस्टर क्लीयरेंस कराते हुए नियुक्ति की कार्रवाई की जा सकेगी ।

विश्वविद्यालयों में यू0जी0सी0 के अर्हता के आलोक में पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति हेतु, परिनियम गठित करने हेतु राज्यपाल सचिवालय को अनुरोध किया गया है । परिनियम गठित होने के उपरांत यू0जी0सी0 के अर्हता के आलोक में विश्वविद्यालयों में पुस्तकाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति की जा सकेगी ।

अध्यक्ष : जवाब मिल गया है ?

श्री अरूण शंकर प्रसाद : जी महोदय, माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न था कि उच्च विद्यालय, महाविद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय में लाइब्रेरियन की जो कमी है उस पर मेरा प्रश्न था जिसमें इन्होंने उच्च माध्यमिक विद्यालयों के पुस्तकालयाध्यक्षों के संबंध में बताया है कि 2789 स्वीकृत पद के विरुद्ध केवल इनके पास 893 पुस्तकालयाध्यक्ष हैं और वर्ष 2007 में पद सृजन हुआ था और नियोजन की कार्रवाई वर्ष 2008 में प्रारंभ हुई और वर्ष 2019 में कहते हैं कि पूर्ण हो गया, तो अभी तक बहाली क्यों नहीं हुई, एक तो मैं इनसे यह जानना चाह रहा हूं, कहां सरकार की कमजोरी है जो यह बहाली नहीं हो पा रही है और ऊपर से इन्होंने उच्च माध्यमिक विद्यालय जो नवस्थापित हैं, जो उत्क्रमित हुआ है वह राज्य भर में 6421 है जिसमें पुस्तकालयाध्यक्ष नहीं हैं, पुस्तक की देख-रेख नहीं होती है, माननीय विधायक भी पुस्तक भेजते हैं, उनके पास अपनी भी पुस्तक है वह सड़ रही है, गल रही है एक भी पुस्तकालयाध्यक्ष कहीं नहीं हैं और महोदय, उसके कारण छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इतना लंबा समय लगने का क्या कारण है और उसमें जो त्रुटियां हैं उसको शीघ्र खत्म करके आप सभी जगह पुस्तकालयाध्यक्षों की बहाली करना चाहते हैं ? मेरा दूसरा पूरक है कि महाविद्यालय के संबंध में इन्होंने कोई जानकारी नहीं दी है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री शिक्षा विभाग ।

श्री चन्द्र शेखर, मंत्री : महोदय, उत्तर में स्पष्ट है । माननीय सदस्य ने जो जिज्ञासा की है उच्च विद्यालय में, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में इस पर नियोजन की कार्रवाई वर्ष 2008 में प्रारंभ हुई जो वर्ष 2019 में पूर्ण हो सका । विलंब का मुख्य कारण अभ्यर्थियों द्वारा माननीय न्यायालय में विभिन्न याचिकाओं का दायर करना था । महोदय, याचिकाओं के मामले में अगर कोई निदेश होता है और उसका अनुपालन सुनिश्चित सरकार को करना होता है और जहां तक प्लस टू की बात है जो नये विद्यालय उत्क्रमित हुए हैं उसमें जब नियोजन की कार्रवाई होने वाली है, जब नियोजन हो जाएगी तो वह कमी दूर हो जाएगी, मेरा यह कहना है और विश्वविद्यालय के मामले में स्पष्ट है अगर उत्तर का अंतिम पैरा देखेंगे तो विश्वविद्यालयों में यू0जी0सी0 के अर्हता के आलोक में पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति हेतु, परिनियम गठित करने हेतु राज्यपाल सचिवालय को अनुरोध किया गया है । परिनियम गठित होने के उपरांत यू0जी0सी0 के अर्हता के आलोक में विश्वविद्यालयों में पुस्तकाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति की जा सकेगी ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के उत्तर में विरोधाभास है और विरोधाभास यह है कि एक तरफ माननीय मंत्री जी बता रहे हैं कि विभिन्न न्यायालय में जो बात चली गई है उसके कारण विलंब हो गई और दूसरी तरफ इन्हीं के उत्तर में देखिए कि स्वीकृत एवं रिक्त पदों की विवरणी विभागीय पोर्टल पर अपलोड किया जाना है, मतलब अभी अपलोड करने का काम भी इनका नहीं हुआ है तो कहीं न कहीं विभाग सुस्त है और केवल न्यायालय का बहाना बना रही है शिक्षा विभाग, एक तो शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा वाद लंबित है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये, चूंकि समय खत्म हो गया है ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : महोदय, लेकिन उसका सहारा लेकर माननीय मंत्री जी इस बहाली के विलंब से जनता को भ्रमित करना चाहते हैं और सदन को भी गुमराह कर रहे हैं । मैं इनका उत्तर जानना चाहता हूं कि कब तक इन सारी समस्याओं का निदान करते हुए सभी विद्यालयों, सभी महाविद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्ष की बहाली आप कर देंगे, सीधा सा प्रश्न है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

टर्न-7/सत्येन्द्र/28-03-23

श्री चन्द्रशेखर, मंत्री: महोदय, परिनियम गठन के उपरांत महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में इस तरह की कमियां दूर होंगी और जहां तक प्लस टू और माध्यमिक विद्यालय

का सवाल है तो वह महोदय जो नियुक्ति प्रक्रिया नियोजन नियमावली है उसके तहत होगी, वह अतिशीघ्र करेगी सरकार ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद: महोदय, एक जनहित में प्रश्न है । मैं मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि जबतक आप बहाल नहीं करते हैं, 11 महीने के लिए जितने माननीय विधायक है अपने अपने विद्यालय में लाइब्रेरियन की नियुक्ति कर सकते हैं, इसका एक पत्र निकाल दें तबतक । सभी माननीय विधायक को हक दे दें कि अपने अपने क्षेत्राधिकार में वे कर लें 11 महीने के लिए ।

श्री चन्द्रशेखर, मंत्री: महोदय, माननीय सदस्य ने आशा की है सरकार से तो हमको तो नहीं लगता है कि कोई नियम परिनियम उसमें हमको सहयोग करेगा महोदय, फिर भी देखवा लेंगे ।

अध्यक्ष: ठीक है । अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों उसे सदन पटल पर रख दिये जायें । अब कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 28 मार्च, 2023 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं-

श्री अरूण शंकर प्रसाद, श्री जनक सिंह, श्री कुंदन कुमार, श्री मोती लाल प्रसाद श्री केदार प्रसाद गुप्ता ।

आज सदन में राजकीय विधेयक के व्यवस्थापन का कार्यक्रम निर्धारित है। अतएव बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 47(2)के अधीन नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्यस्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को अमान्य किया जाता है ।

अब शून्यकाल लिये जायेंगे ।

(व्यवधान)

कार्यस्थगन अमान्य कर दिया गया नियमानुकूल नहीं है । माननीय नेता प्रतिपक्ष ।

श्री प्रहलाद यादवः अध्यक्ष महोदय..

(व्यवधान)

अध्यक्षः पहले नेता प्रतिपक्ष बोल लेंगे, उसके बाद आप । दोनों लखीसराय से ही हैं, टकरा गये हैं । माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप बैठ जाईए । आपको भी पढ़वा देते हैं ।

श्री विजय कुमार सिन्हा,नेता विरोधी दलः महोदय, सदन के अंदर जब प्रश्नकाल चलता है और पूरक प्रश्न जब पूछा जाता है तो माननीय मंत्री जी का व्यवहार जिस ढंग से होता है ये उचित नहीं है । महोदय, आज माननीय सदस्य बिहटा से कोईलवर और कोईलवर से छपरा ,शक्ति से सतार अरवल तक जाम का मामला उठाया । इस जाम से पूरा बिहार प्रभावित होता है महोदय, इसको संज्ञान में लेकर गंभीरता से जवाब देने की बजाय हमलोग जिस तरह का व्यवहार करते हैं, सरकार तो पूरी तरह से उदासीन निष्क्रिय हो गया है, कोई जवाब के लिए तैयार नहीं है। बहुत खुश होंगे तो कहेंगे कि आकर मिल लीजियेगा अकेले, इस तरह के व्यवहार से और महोदय ये पूरा जाम रहता है । इस जाम पर सरकार की ओर से जवाब आना चाहिए । दूसरा महोदय, जो आज कार्यस्थगन दिया गया । बिजली का मामला जो भारी वृद्धि का है, उस पर सरकार का जवाब नहीं आ रहा है और एक बड़ा गंभीर विषय है महोदय कि राज्य की वित्तीय हालत खराब है महोदय, बजट का 62 प्रतिशत स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में खर्च होगा । राज्य पर कुल कर्ज के मुकावले बजट का आकार मात्र 4575 करोड़ रू0 अधिक है महोदय, इस खराब वित्तीय स्थिति पर सदन में चर्चा की मांग करता हूँ ..

अध्यक्षः माननीय नेता प्रतिपक्ष...

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : कैसे काम करायेंगे, ये बरगला रहे हैं । ये पूरी तरह से चाहे शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो चाहे डेवलपमेंट का विभाग हो, सब में काम ठप्प है पड़ा हुआ है ।

अध्यक्ष: अब आप स्थान ग्रहण कीजिये । माननीय प्रह्लाद यादव ।

श्री प्रहलाद यादव: महोदय, बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 5(2) के तहत षोडश विधान-सभा में श्री मनीष कुमार ए0एस0पी0,लखीसराय एवं श्री नीरज कुमार,थाना प्रभारी लखीसराय के विरूद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना को उज्जीवित करने का प्रस्ताव करता हूँ ।

अध्यक्ष: विशेषाधिकार हनन का विषय है, जो माननीय सदस्य श्री प्रह्लाद यादव द्वारा उज्जीवित करने का प्रस्ताव दिया गया है । बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली के नियम 5(2) के तहत उज्जीवित हुआ।

श्री विजय कुमार सिन्हा,नेता विरोधी दल: महोदय, विशेषाधिकार से संबंधित एक विषय है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: आप माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें । माननीय भाई वीरेन्द्र आप स्थान ग्रहण करें । नेता प्रतिपक्ष, यह सदन का सवाल है इसमें आपको कुछ नहीं कहना चाहिए।

श्री विजय कुमार सिन्हा,नेता विरोधी दल: एक आसन से मांग है । महोदय, विशेषाधिकार कमिटी में कई मामले चल रहे थे और वह बहुत दिनों से बैठक भी नहीं हुई उस पर ऐक्शन भी नहीं हुआ । प्रोटोकोल कमिटी बनाया गया था इसी सदन की सहमति से महोदय, जहां पर अभ्यावेदन और प्रोटोकोल कमिटी से विधायकों की समस्याओं का समाधान होना है, उस कमिटी को तो हमलोग गठित किये थे जब हम वहां पर थे तो उस कमिटी को भी तो फिर से ला दीजिये ताकि अभ्यावेदन पर विचार हो सके ।

अध्यक्ष: बिहार विधान-सभा में नियामावली, प्रक्रिया के तहत ऑलरेडी विशेषाधिकार समिति को गठित किया गया है जिसकी घोषणा भी सदन में की गयी है । विशेषाधिकार समिति में जो मामले आये हैं, सदन जब समाप्त हो जाता है तो उस पर संसदीय कार्य मंत्री जी रहेंगे । उनसे बात करके उसके कार्यान्वयन कराने की दिशा में हमलोग तिथि निर्धारित करने का काम करेंगे और उसमें विशेषाधिकार के जितने मामले हैं उसको भी कमिटी देखेगी और जो नियमानुसार ऐक्शन, कार्रवाई होनी चाहिए, वह कार्रवाई होगी ।

शून्यकाल की सूचनाएं

श्रीमती मंजु अग्रवाल: माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान, छतीसगढ़, झारखंड, पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश राज्य के तर्ज पर बिहार राज्य में भी पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग करती हूॅ ।

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं सूचना पर हूॅ ।

अध्यक्ष: क्या सूचना है? माननीय सदस्य आप बहुत पुराने हैं और शून्यकाल चल रहा है।

(व्यवधान)

शांति बनाये रखें। आप क्या कहना चाहते हैं,सूचना आपका क्या है?

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह: महोदय, हमारे निर्वाचन क्षेत्र के धोबहा थाना में अगरसंडा गांव है। कल वहां पुलिस गयी थी और जाकर के शराब बगैरह के बारे में लोग चेकिंग कर रहे थे, कुछ लोग वहां पकड़ाये भी । उसके बाद में पुलिस ने वहां पर काफी लोगों के था धक्का मुक्की की, काफी संख्या में वहां पर पुलिस को बुलवाया गया और पूरे गांव में घुसकर के, सारे घरों में लोगों को लाठी से पीटा गया, बुरी तरह पीटा गया जो लोग निर्दोष थे उनको भी पीटा गया, 44 लोगों पर प्राथमिकी किया गया है और लगभग 150 लोगों पर अज्ञात प्राथमिकी दर्ज की गयी है । सरकार यहां बैठी हुई है मैं आपके माध्यम से ये मांग करता हूॅ कि जो दोषी है, उन पर कार्रवाई हो लेकिन जो निर्दोष है उन पर जो गलत किया गया है तो उन पुलिस अफसरों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए । यह सरकार से मांग करता हूॅ और विश्वास करता हूॅ कि मंत्री जी इस पर कहीं न कहीं ....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने सूचना दी । श्री रामचन्द्र प्रसाद शून्यकाल पढ़ें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, राघवेन्द्र बाबू आपने सूचना दे दी है आप बैठिये न।

श्री रामचन्द्र प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला हायाघाट प्रखंडान्तर्गत अशोक पेपर मिल रामेश्वर नगर 30 वर्षों से बंद है, मामला न्यायालय में लंबित है ।

अत: मैं सरकार से न्यायालय में लंबित मामले को निष्पादन कराकर मिल को चालू कराने तथा इसके 471 कर्मियों के बकाये वेतन भुगतान कराने की मांग करता हूॅ।

श्रीमती प्रतिमा कुमारी: अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से वैशाली जिलान्तर्गत रसलपुर हबीब से भिखनपुरा बांध पर वाटर-वेज बांध की जीर्ण-शीर्ण सड़क की मरम्मति एवं जीर्णोद्धार की मांग सरकार से करती हूॅ ।

श्री ललन कुमारः अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अवास सहायक, रोजगार सेवक, कृषि सलाहकार, विकास मित्र एवं कार्यपालक सहायक की सेवा परामेंट करने की मांग करता हूँ।

टर्न-8/मधुप/28.03.2023

श्री इजहारूल हुसैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिलान्तर्गत पोठिया प्रखंड के रायपुर पंचायत में किशनगंज-ठाकुरगंज पी0डब्लू0डी0 रोड से धोबनियाँ गाँव होते हुए ईदगाह एवं नवोदय विद्यालय पी0डब्लू0डी0 तक सड़क नहीं रहने के कारण आमजनों को आवागमन में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ।

अतः मैं उक्त स्थल में अतिशीघ्र पक्की सड़क निर्माण करने की माँग सरकार से करता हूँ ।

श्रीमती रेखा देवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, पटना जिला अन्तर्गत कार्य प्रमंडल मसौढ़ी के द्वारा डुमरा धमौल पथ से मकदुमपुर पथ का कार्य विगत 5 वर्षों से अधूरा है ।

मैं सरकार से माँग करती हूँ कि संवेदक पर कार्रवाई करते हुए पथ का निर्माण करावें ।

श्री अनिल कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, बथनाहा विधान सभा क्षेत्र के सोनबरसा प्रखंड के बगहा खाप पोखराहा से गुजरने वाली लखनदेई नदी के उड़ाही का कार्य पिछले वर्ष करोड़ों की लागत से किया गया । बगहा से मुहचट्टी के बीच बाँध ध्वस्त हो गया है । बाढ़ आने से पहले बाँध की मरम्मति कराने की माँग...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने जो शून्यकाल में लिखकर दिया है, उपर तो ठीक पढ़े लेकिन अब नीचे उससे अलग हट रहे हैं । जो लिखकर दिया है, वही पढ़िये ।

श्री अनिल कुमार : सर, पुनः पढ़ देते हैं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बथनाहा विधान सभा क्षेत्र के सोनबरसा प्रखंड के बगहा खाप खोपराहा से गुजरने वाली लखनदेई नदी की उड़ाही का कार्य पिछले वर्ष करोड़ों की लागत से किया गया । बगहा से मुहचट्टी के बीच बाँध ध्वस्त है । बाढ़ आने से पहले बाँध की मरम्मति कराने की माँग करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह बात नहीं है । यह बात है कि मुहचट्टी के बीच बाँध मरम्मत कराने की माँग के संबंध में । यही आपने इसमें लिखा है ।

श्री अनिल कुमार : जी । मैं सरकार से माँग करता हूँ, महोदय ।

अध्यक्ष : अब आप बैठ जायं ।

श्री राजेश कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला के शाहपुर पटोरी अनुमंडल अन्तर्गत व्यवहार न्यायालय का निर्माण पूर्णतः ग्रामीण एवं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र ग्राम पंचायत

जोड़पुर(मालपुर) के स्थान पर मुख्यालय के समीप कृषि फार्म की भूमि या रेलवे स्टेशन, शाहपुर पटोरी से 100 मीटर उत्तर में अंचल व अनुमंडल पटोरी द्वारा पूर्व के प्रस्तावित भूमि पर सरकार निर्माण करावे ।

श्री मुकेश कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य अन्तर्गत बिहार शिक्षा परियोजना परिषद में राज्य के 38 जिलों में विगत 8-9 वर्षों से एक ही स्थान पर कार्यरत सहायक अभियंता, कनीय अभियंता, अपर जिला पर कार्यरत समन्वयक सहित अन्य कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों को जनहित में स्थानांतरण की सरकार से माँग करता हूँ ।

श्रीमती भागीरथी देवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, बेतिया जिलान्तर्गत प्रखण्ड रामनगर के ग्राम मंचंगवा (पचरूखिया) के थाना-567, खाता-62, खेसरा-386/11 रकबा 3 डिसमिल जमीन 11 व्यक्तियों को सरकार से प्राप्त है, को भारत-नेपाल सीमा सड़क परियोजना द्वारा अधिग्रहण किया जा रहा है । प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें पुनः स्थापित किया जाए ।

श्री ललित नारायण मंडल : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिला के सुलतानगंज को अनुमंडल एवं सजौर, बाथ तथा अकबर नगर को प्रखंड बनाने की माँग करता हूँ ।

श्री मोहम्मद अंजार नईमी : अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिला स्थापना के 33 वर्ष बाद भी हम किशनगंज जिला वासियों को 1904 से 1970 तक का केवाला पूर्णिया प्रमण्डल से लेना पड़ता है जिस कारण आर्थिक एवं मानसिक प्रताड़ना क्षेलना पड़ता है ।

इस उत्पीड़न से बचाने हेतु मैं जिला मुख्यालय में ही केवाला उपलब्ध कराने की माँग करता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अजीत कुमार सिंह । थोड़ा-सा स्पीड बढ़ा दिया जायेगा तो बहुत सारे सदस्यों के शून्यकाल सुन लिये जायेंगे ।

श्री अजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, राज्य के ग्रामीण इलाकों में एकीकृत बाल विकास योजना (ICDS) के तहत 0 से 6 साल की उम्र के बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण एवं विकास के लिए वार्ड स्तर पर कार्यरत आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाने की माँग करता हूँ ।

श्रीमती गायत्री देवी : अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला के सोनबरसा प्रखंड के सिंगवाहिनी पंचायत अन्तर्गत नरकटिया ग्राम के वीणा देवी, पति-स्वर्गीय दिनेश ठाकुर को प्रधानमंत्री आवास योजना से बन रहे घर को दबंग और प्रशासन मिलकर नहीं बनाने दे रहा है ।

अतः सरकार से माँग करती हूँ कि वीणा देवी का घर बनवाया जाय ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मधुबनी जिलान्तर्गत हरलाखी प्रखंड के ऐतिहासिक गिरजा स्थान (फूलहर) में बाग-तराग, तालाब एवं मंदिर का कई एकड़ भूमि अतिक्रमण का शिकार हो रहा है । अतिक्रमण मुक्त कराकर उसका सौन्दर्यीकरण करने तथा पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की माँग करता हूँ ।

श्री मोती लाल प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना द्वारा वर्ष 2014 में कुल 13120 पदों के लिए इंटर स्तरीय परीक्षा ली गई जिसका विज्ञापन संख्या-06060114 है । परंतु नियुक्ति केवल 11329 अभ्यर्थियों की हुई । शेष बचे 1778 योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति की माँग सरकार से करता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री मोती लाल प्रसाद, शेष बचे हुए 1778 योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति की माँग के संबंध में, यह क्यों आप लिखते हैं ? माँग के संबंध में ? यह 'संबंध' नहीं रहना चाहिए ।

माननीय सदस्य श्री राजीव कुमार सिंह ।

श्री राजीव कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुंगेर जिलान्तर्गत तारापुर विधान सभा क्षेत्र के संग्रामपुर प्रखंड के दुरमट्टा पंचायत के दुरमट्टा ग्राम में झगड़ाहवा चेकडैम से निकली वितरण प्रणाली का जीर्णोद्धार कराने हेतु मैं सरकार से माँग करता हूँ ।

श्री निरंजन राय : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत कटरा प्रखंड मुख्यालय से 16 पंचायतों को जोड़ने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण कटरा-बकुची के बीच बागमती-लखनदेई नदी पर जनहित में उच्चस्तरीय आर0सी0सी0 पुल का निर्माण कराने की माँग सरकार से करता हूँ ।

श्री अचमिच ऋषिदेव : अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत नगर पंचायत रानीगंज में स्थित प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय रानीगंज के छोटे और जर्जर चाहरदिवारी का जीर्णोद्धार कर उसकी ऊंचाई बढ़ाने की माँग मैं सरकार से करता हूँ ।

श्री छत्रपति यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, खगड़िया जिलान्तर्गत खगड़िया मुख्यालय में सरकारी जमीन चिन्हित करते हुए जिला के सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक विकास के लिए हवाई अड्डा निर्माण की दिशा में नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्ताव भेजने हेतु मैं सदन से माँग करता हूँ ।

श्री विजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, राज्य के अन्तर्गत सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को मिलने वाले तत्काल अंतरिम मुआवजा (5 लाख) को बंद कर दिया गया है ।

अतएव जनहित में मानवीय संवेदना को देखते हुए पुनः अंतरिम मुआवजा शुरू करने हेतु निर्देश जारी करने की मांग सदन के माध्यम से सरकार से करता हूँ।

श्री रामबली सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जहानाबाद नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत प्राचीन देवी मंदिर से माले ऑफिस होते हुए रामगढ़ स्कूल एवं अलगना पईन तक पी0सी0सी0 तथा माले ऑफिस से अलगना पईन तक नाली निर्माण की मॉग करता हूँ ।

श्री रामवृक्ष सदा : माननीय अध्यक्ष महोदय, खगड़िया जिला के अलौली विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत अलौली प्रखण्ड मुख्यालय हरीपुर बाजार, मौहरा घाट एवं खगड़िया प्रखंड के जलकौरा, बेला में एस0बी0आई0 की शाखा खोलने की सरकार से मॉग करता हूँ ।

टर्न-9/आजाद/28.03.2023

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब ध्यानाकर्षण सूचनायें ली जायेगी और ध्यानाकर्षण के उपरांत समय बचने पर अगर सदन की सहमति हो तो शेष बचे हुए शून्यकाल की सूचनायें ली जायेगी ।

माननीय मंत्री प्रभारी, स्वास्थ्य विभाग को उस हाऊस में जाना है । इसलिए श्री नीतीश मिश्रा जी के ध्यानाकर्षण सूचना को पहले विचारार्थ लिया जाता है । विचार किया गया कि इनको पहले ले लिया जाय ।

ध्यानाकर्षण सूचनाएँ तथा उसपर सरकारी वक्तव्य

श्री नीतीश मिश्रा, स0वि0स0 से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (स्वास्थ्य विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री नीतीश मिश्रा, अपने सूचना को पढ़ें ।

श्री नीतीश मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, ''राष्ट्रीय राजमार्ग की महत्वाकांक्षी स्वर्णिम चतुर्भुज एवं ईस्ट-वेस्ट कोरीडोर योजना के समग्र विकास के मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार ने राजमार्गों पर बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं में घायलों के ससमय इलाज हेतु ट्रॉमा सेन्टर स्थापित करने का निर्णय लिया । पोरबंदर (गुजरात) से सिलचर (असम) तक जाने वाले ईस्ट-वेस्ट कोरीडोर के अंतर्गत मुजफ्फरपुर से कोशी महासेतु के मध्य झंझारपुर एन0एच0-27 (पूर्व एन0एच0-57) पर वर्ष 2009 में ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्रॉमा सेन्टर स्थापित करने की स्वीकृति दी थी । साथ ही उचेंठ (बेनीपट्टी) से उग्रतारा (सहरसा) जाने वाली एन0एच0-527A निर्माणाधीन है एवं गोरखपुर-सिलीगुड़ी प्रस्तावित एक्सप्रेस हाइवे भी इसी क्षेत्र से गुजरेगी । यात्रियों के हित में झंझारपुर स्थित ट्रामा सेन्टर के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र संख्या-28016/45-2009-11, दिनांक 24 जून, 2009 के द्वारा 65 लाख रूपये की प्रथम किश्त भी निर्गत किया था । झंझारपुर एन0एच0-27 पर

ट्रॉमा सेन्टर की स्वीकृति एवं प्रथम किश्त मिलने के लगभग 14 वर्ष बीत जाने के उपरांत भी कार्य रूप में नहीं आ सका है ।

अत: एन0एच0-27 पर झंझारपुर में स्वीकृत ट्रॉमा सेन्टर के संचालन हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ । ''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री ललित कुमार यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अररिया संग्राम, जिला मधुबनी में ट्रामा सेंटर ईस्ट-वेस्ट कोरीडोर पर झंझारपुर से मात्र 8 कि0मी0 की दूरी पर अवस्थित है और कार्यरत है । झंझारपुर में नया चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल निर्माणाधीन है, जिसमें ट्रामा सेंटर की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की योजना है ।

श्री नीतीश मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह होगा कि मुझे कुछ समय देंगे, मैं 14 वर्षों से इस कार्य को सम्पादित करने में लगा हूँ । माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया, यह सी0एच0सी0 से निर्मित है । माननीय मंत्री जी, अगर सरकार इस बात को मानती है कि वह सी0एच0सी0 नहीं, वह ट्रामा सेंटर है तो आज सरकार यह भी स्पष्ट करे कि जिला स्वास्थ्य विभाग कंफ्यूजन में है कि वह सी0एच0सी0 है या ट्रामा सेंटर है और अगर सी0एच0सी0 भी है अध्यक्ष महोदय तो वहां पर जितने चिकित्सक पदस्थापित हैं, उनका पूरा विवरण है मेरे पास, अगर माननीय मंत्री जी कहें तो मैं बता दूं कि कितने स्वीकृत पद है , जैसे अगर 12 चिकित्सक के पद स्वीकृत हैं ... .

श्री ललित कुमार यादव, मंत्री : महोदय, जानकारी है कि कितने पद स्वीकृत हैं और कितने पर पदस्थापित हैं, सब जानकारी है । महोदय, इनको बताने की जरूरत नहीं है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य का ध्यानाकर्षण है, वे क्या कहना चाहते हैं, सुन लीजिए ।

श्री नीतीश मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार से आग्रह होगा कि मेरी मूल भावना को समझें, 2009 का यह स्वीकृत है और प्रथम किश्त की राशि उस समय अनुमंडल अस्पताल, झंझारपुर को भी निर्गत हुई और फिर प्रस्ताव आया कि इसको नेशनल हाईवे पर बनाया जाय ताकि ज्यादे लोगों को सुविधा हो । मेरा मूल प्रश्न अध्यक्ष महोदय यह है कि ट्रामा सेंटर के संचालन होने से बहुत सारे लोगों की जान बचायी जा सकती थी क्योंकि एन0एच0 पर लगातार चाहे फुलपरास से लोग आ रहे हो या झंझारपुर के तरफ से फुलपरास और कोशी महासेतु की ओर जा रहे हों, प्रत्येक दिन दुर्घटनायें होती है । अगर सरकार मानती है कि ट्रामा सेंटर है अध्यक्ष महोदय, यह सर्वविदित है कि ट्रामा सेंटर का प्रोटोकॉल है, उसके पद कितने होनी चाहिए,

उसका क्या व्यवस्था है या तो सरकार आज ये स्पष्ट करे कि वह सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के साथ-साथ ट्रामा सेंटर दोनों उसी में संचालित है, तब क्या उस अनुरूप जितने पद सृजित होने चाहिए दोनों अस्पतालों के मिलाकर के, कम्युनिटी हेल्थ सेन्टर और ट्रामा सेंटर, दोनों को मिलाकर के जितने पद होने चाहिए, क्या उतने कार्यरत हैं ? यह सरकार स्पष्ट कर दे अपने जिला स्वास्थ्य विभाग को कि वह ट्रामा सेंटर है या सी0एच0सी0 है या दोनों है ?

श्री ललित कुमार यादव, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य की भावना यही है कि झंझारपुर में ट्रामा सेंटर का निर्माण हो । जिसके लिए राशि भी गयी हुई थी, जिसके बारे में माननीय सदस्य ने ध्यानाकर्षण में जिक्र किया है । मैंने स्पष्ट कहा है कि झंझारपुर से 8 कि0मी0 की दूरी पर अररिया संग्राम हाईवे पर है और माननीय सदस्य का जो उद्देश्य है प्रश्न का, उस उद्देश्य का पूर्ति करता है महोदय और सी0एच0सी0 है और ट्रामा सेंटर का मानक को पूरा करता है । जो ट्रामा सेंटर का अवधारणा है, वह अररिया संग्राम में जो सी0एच0सी0 है, जितने माननीय सदस्य कह रहे हैं स्वीकृत चिकित्सक वहां पर हैं....

अध्यक्ष : उसमें मानक के मुताबिक आधारभूत संरचना है ?

श्री ललित कुमार यादव, मंत्री : है महोदय और इनका झंझारपुर जो है, हाईवे के बगल में वहां पर चिकित्सा महाविद्यालय का भी निर्माण हो रहा है । उसमें भी ट्रामा सेंटर का है सारा मानक तो माननीय सदस्य का स्पष्ट हो जाता है, इसमें और कोई प्रश्न नहीं बच जाता है ।

श्री नीतीश मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि मुझको ये स्पष्ट कर दें कि शायद मेरी जानकारी न हो, सरकार मुझे अवगत करा दे कि सी0एच0सी0 का मानक क्या है और ट्रामा सेंटर का मानक क्या है ? चूँकि यह मेरा क्षेत्र है और मैं प्रत्येक दिन जब भी क्षेत्र में होता हूँ, मैं वहां से गुजरता हूँ । वहां पर एक्सीडेंट होता है, हमलोगों को सूचनायें आती है तो माननीय मंत्री जी या सरकार यह स्पष्ट कर दे कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्या प्रावधान है, क्या इन्फ्रास्ट्रक्चर है और ट्रामा सेंटर में क्या प्रावधान है और क्या इन्फ्रास्ट्रक्चर है और दोनों के कितने पद स्वीकृत हैं और कितने लोग वहां कार्यरत हैं । अध्यक्ष महोदय, 14 वर्ष पहले की यह स्वीकृत योजना है और मुझको यह नहीं कहा जाय कि सरकार इधर की हो या उधर की हो, जनता को उससे कोई अन्तर नहीं पड़ता है । मैं सिर्फ यह कहना चाह रहा हूँ कि 14 वर्षों के बाद भी दोनों केन्द्र अगर वहां सी0एच0सी0 बना, बहुत अच्छी बात है, वहां सी0एच0सी0 है, इतना सिर्फ माननीय मंत्री जी स्पष्ट कर दें कि मैं संतुष्ट हो जाऊंगा अध्यक्ष महोदय, नहीं तो माननीय मंत्री जी समय ले लें, अगर

आज तैयार नहीं हैं, समय ले लें और पुनः सरकार उत्तर दे लेकिन इस विषय को अध्यक्ष महोदय, कृपया स्पष्ट करा दें ।

श्री ललित कुमार यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट कहा कि ट्रामा सेंटर का जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, वही अररिया संग्राम में ट्रामा सेंटर का सभी मानक फुलफील करता है । माननीय सदस्य, यदि चाहते हैं कि वहां पर कितने डॉक्टर के पद स्वीकृत हैं और कितने अन्य कर्मचारियों का तो मैं माननीय सदस्य को बता देता हूँ। वहां पर 12 चिकित्सक का पद स्वीकृत है महोदय, जो ट्रामा सेंटर के मानक का फुलफील करता है और उसमें 6 अभी कार्यरत हैं, जो ट्रामा सेंटर के लिए चाहिए, वह वहां है। अन्य कर्मचारी भी सारे लोग वहां पर हैं । उसमें अगर ये जानना चाहता हैं तो सारा हम पदवार आपको बता दें कि कितने टोटल कर्मचारी ए0एन0एम0, जी0एन0एम0 पदस्थापित हैं महोदय , वहां 73 का लक्ष्य है तो मानक है ट्रामा सेंटर का और सबसे बड़ी बात है कि मधुबनी जिला में हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज का स्थापना होना है, झंझारपुर में जहां माननीय सदस्य चाहते हैं कि ट्रामा सेंटर का निर्माण हो तो वहां चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण हो रहा है और उसी में ट्रामा सेंटर का सभी मानक पूरा कर रहा है महोदय । इस प्रश्न में अब कुछ बच नहीं जाता है ।

श्री नीतीश मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण चाहिए । सरकार के खुद जवाब में विरोधाभाष है । अगर ट्रामा सेंटर वहां संचालित है, सरकार का निर्देश है तो फिर मेडिकल कॉलेज जो निर्माणाधीन है, जिसमें दो वर्ष लगेंगे, फिर ट्रामा सेंटर वहां पर बनाने की आवश्यकता क्यों है ? दूसरा प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, यह भारत सरकार के नेशनल हाईवे स्कीम के तहत है और स्वास्थ्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में एक और ट्रामा सेंटर नरपतगंज में संभवतः घोषणा भी की है । अगर झंझारपुर में मेडिकल कॉलेज बनने में दो-तीन वर्ष लगेंगे और जो पद स्वीकृति की बात है, मंत्री जी ने यह स्पष्ट नहीं किया कि वह सी0एच0सी0 है या ट्रामा सेंटर है ? अगर मंत्री जी ने अभी कहा कि यह ट्रामा सेंटर है अध्यक्ष महोदय तो क्या पद है और देख लीजिए । सभी माननीय सदस्य इस बात से एग्री करेंगे कि 12 पद चिकित्सक के हैं, जेनरल सर्जन के...

अध्यक्ष : नहीं, माननीय...

श्री नीतीश मिश्रा : महोदय, मुझे एक मिनट दे दिया जाय कृपया करके, मेरी वेदना को समझें । जेनरल सर्जन 2 हैं, जिसमें मात्र एक स्थापित हैं, सर्जन ऑर्थोपेडिक एक भी नहीं हैं, एनाथिसिया के एक भी नहीं हैं, सामान्य चिकित्सक 6 होने चाहिए, 5 हैं तो क्या यह सरकार का ट्रामा सेंटर है, जहां पर एक भी ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं हैं,

वहां पर एनाथिसिया के नहीं हैं और कोई भी वहां जाता है तो उसको रेफर डी0एम0सी0एच0 कर देते हैं तो सरकार इसको स्पष्ट कर दे कि बिहार में यही ट्रामा सेंटर है तो हमलोग मान लें कि यही ट्रामा सेंटर है । मैंने मंत्री जी से यह कहा कि आप हमको यह स्पष्ट कर दीजिए कि यह सी0एच0सी0 है या ट्रामा सेंटर है ? अगर आप कह रहे हैं कि दोनों है तो मैंने स्पष्ट पूछा अध्यक्ष महोदय चूँकि दोनों का मापदंड अलग होगा । अगर केन्द्र सरकार की ही योजना है सी0एच0सी0 तो फिर भारत सरकार क्यों कहती कि वहां पर आप ट्रामा सेंटर बनाईए, एक ही सेंटर मेरा काम करता । या तो वहां पर ट्रामा सेंटर काम करता या सी0एच0सी0 काम करता तो सरकार दोनों के लिए एक ही जगह पर राशि क्यों व्यय की, आप उस अस्पताल को कही और बना सकते थे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने काफी समय लिया और माननीय मंत्री का कहना है कि ट्रामा सेंटर के जो मानक है, वह मानक उसमें है । फिर भी मंत्री जी से कहूंगा कि आप उसको अपने स्तर से देखवा लीजियेगा ।

श्री नीतीश मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, 14 वर्ष हो गया और मेरा चौथा टर्म है और मैं लोगों की हित के लिए कह रहा हूँ । सरकार...

अध्यक्ष : मैंने कहा आसन से कि मंत्री जी उसको आप देखवा लीजियेगा, माननीय सदस्य ने जो चर्चा किया है 14 वर्षों का तो आप देखवा लीजियेगा, नियमानुसार जो बातें होगी, वही कीजियेगा ।

टर्न–10/शंभु/28.03.2023

श्री विजय कुमार सिन्हा,ने0वि0द0 : माननीय मंत्री जी का जो जवाब था, लेकिन मिशन 61 और मिशन 62 चालू हो गया, स्वास्थ्य विभाग जहां था उससे नीचे जा रहा है, पूरी तरह से फेल है व्यवस्था, लेकिन मिशन 62 चला गया । इसलिए इनकी गलती नहीं है इनको तो जो आया वह पढ़ रहे हैं ।

अध्यक्ष : हां ठीक है बैठा जाय । हो गया अब नहीं ।

श्री नीतीश मिश्रा : महोदय, केवल यह स्पष्ट कर दें कि वह दोनों है या दोनों अलग–अलग है? इतना ही हम जानना चाहते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने तो कहा कि ट्रामा सेंटर में जो आवश्यकताएं और जो सैंक्शन, जो आधारभूत संरचनाएं होनी चाहिए उसमें है । इसके बाद भी मैंने कहा कि माननीय सदस्य के जो मामले हैं थोड़ा मंत्री जी अपने स्तर से देखवा लीजिएगा और जो नियमानुसार होगा उस दिशा में सरकार कार्रवाई करे ।

सर्वश्री भाई वीरेन्द्र, अजय कुमार एवं अन्य पाँच सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार (शिक्षा विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री भाई वीरेन्द्र की सूचना पढ़ी हुई है । माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, अपना वक्तव्य दें ।

श्री चन्द्रशेखर, मंत्री : महोदय, समय चाहिए ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव, अपनी सूचना को पढ़ें ।

सर्वश्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव, मोहम्मद कामरान एवं अन्य छः सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (विधि विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : महोदय, ''दरभंगा जिला में माँ श्यामा मंदिर न्यास समिति द्वारा बरती गयी अनियमितता की जाँच हेतु अपर समाहर्त्ता की अध्यक्षता में एक त्रि-सदस्सीय समिति का गठन किया गया । इस न्यास समिति के कार्य-कलाप की विस्तृत जाँच किये जाने पर जो तथ्य सामने आये वे चौंकाने वाले थे । न्यास समिति द्वारा रोकड़ पंजी में सभी राशियों को अंकित नहीं किया गया है । जहां सी0ए0 से ऑडिट कराये जाने पर 2016-17 में कुल राशि 1,90,98,764/- होनी चाहिए, वहां न्यास समिति द्वारा मात्र 1,27,516/- रूपये ही होने का उल्लेख किया गया है । अपर समाहर्त्ता की अध्यक्षता में गठित समिति की जाँच प्रतिवेदन पर सहमति देते हुए जिला पदाधिकारी, दरभंगा के पत्रांक-4019, दिनांक-13.09.2019 द्वारा अध्यक्ष, धार्मिक न्यास परिषद् को भेजा गया, परन्तु न्यास परिषद् द्वारा पुनः पुराने सदस्यों को रखते हुए नये सिरे से मंदिर न्यास समिति का पुनर्गठन किया गया जिसके कारण श्रद्धालुओं के करोड़ों रूपये की जो अनियमितता हुई है उसकी जांच होना संभव नहीं होगा ।

अतः माँ श्यामा मंदिर न्यास समिति, दरभंगा द्वारा बरती गयी अनियमितता की जाँच कराते हुए न्यास समिति का पुनर्गठन स्वच्छ छवि के व्यक्तियों को नामित करते हुए किये जाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।''

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : महोदय, समय चाहिए, माननीय मंत्री विधान परिषद् में हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब शून्यकाल ।

श्री अख्तरूल ईमान : महोदय, भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, किंतु दरभंगा में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा भारत को हिन्दु राष्ट्र बनाने का बैनर लगाया और जुलूस भी निकाला जो पूर्णतः असंवैधानिक है और सांप्रदायिक तनाव पैदा करनेवाला कृत्य है ।

अतः मैं सरकार से ऐसे असामाजिक तत्वों के विरूद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई करने की मांग करता हूँ ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शून्यकाल है, आपने पढ़ दिया हो गया । अब श्री सुरेन्द्र मेहता, नहीं हैं ।

श्री राम रतन सिंह : महोदय, बेगुसराय जिला के तेघड़ा विधान सभा अन्तर्गत बरौनी प्रखंड के अमरपुर पंचायत में अवस्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय मिर्जापुर में विद्यालय की चहारदीवारी एवं मुख्य द्वार का निर्माण कराने की मांग सरकार से करता हूँ ।

श्री राम विशुन सिंह : महोदय, भोजपुर जिले के उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में रात्रि प्रहरी के मानदेय करीब 20 महीनों से बकाया है । अविलम्ब भुगतान करने हेतु सरकार से मांग करता हूँ ।

श्री मिश्री लाल यादव : महोदय, दरभंगा जिला के केवटी प्रखंड के ग्राम बनवारी पट्टी, थाना केवटी के कृष्ण कुमार साह, पिता महेन्द्र साह की हत्या गिरफ्तार करने तथा जेल में मारपीट से हुई । पोस्टमार्टम रिपोर्ट हार्ट अटैक से है जो गहरी साजिश है । इस हत्या की जॉच सी0बी0आइ0 से कराने तथा दोषी को सजा की मांग करता हूँ ।

महोदय, इसमें जिस समय गिरफ्तार किया गया उस समय थाने पर मारपीट किया गया फिर जेल गया और जेल में मारपीट करके उसकी हत्या की गयी, कई बदन पर निशान हैं और साजिश के तहत उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदला गया इसीलिए इसकी जॉच सी0बी0आइ0 से कराकर दोषी को सजा.....

अध्यक्ष : हो गया, अब स्थान ग्रहण करें ।

श्री जय प्रकाश यादव : महोदय, अररिया जिलान्तर्गत नरपतगंज प्रखंड के खैरा पंचायत में शारदा चौक से खैरबन्ना जाने वाली सड़क में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए अरनामा धार में पुल निर्माण की मांग सदन के माध्यम से करता हूँ ।

श्री मुरारी मोहन झा : महोदय, दरभंगा जिला के सिंहवाड़ा प्रखंड अन्तर्गत एन0एच0-57 सिमरी चौक पर आये दिन फुट ओवरब्रिज नहीं रहने के कारण कई लोगों की मृत्यु सड़क पार करने में हुई है । सदन के माध्यम से मैं यह मांग करता हूँ कि जनमानस के हित में उक्त जगह पर फुट ओवरब्रिज बनवायी जाय ।

श्री कुंदन कुमार : महोदय, बेगुसराय जिलान्तर्गत एन0एच0-31 पर आये दिन सड़क दुर्घटना से गंभीर रूप से घायल मरीजों को ट्रामा सेन्टर के अभाव में जान गंवानी पड़ती है । अतः बेगुसराय में ट्रामा सेन्टर स्थापित किये जाने हेतु मैं सरकार से मांग करता हूँ ।

श्री सूर्यकान्त पासवान : महोदय, जिला सहकारिता पदाधिकारी बेगुसराय पर सेंट्रल कॉ-ऑपरेटिव बैंक, बेगुसराय के प्रबंध निदेशक पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार के कई गंभीर अरोप

लगे, मगर विभाग से कई बार शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है । अत: उक्त पदाधिकारी पर जॉचोपरान्त कार्रवाई की मांग सरकार से करता हूँ ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : महोदय, सिवान सहित बिहार के सभी जिलों में वर्षों से कार्यरत ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र, रात्रि प्रहरी और स्कूल प्रहरी विभिन्न मौकों पर प्रशासन का सहयोग करते हैं पर उन्हें कोई मानदेय या दैनिक भत्ता नहीं मिलता, इन्हें बिहार चतुर्थवर्गीय कर्मचारी में प्राथमिकता एवं मानदेय की मांग करता हूँ ।

श्री वीरेंद्र कुमार : महोदय, समस्तीपुर जिला सहित अनुमंडल अस्पतालों में प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र के लिए शेड बना हुआ है, परन्तु आज तक प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र का संचालन नहीं किया गया है । बने हुए शेडों में प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र खुलवाने की मांग सरकार से करता हूँ ।

टर्न-11/पुलकित/28.03.2023

श्रीमती रश्मि वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे नरकटियागंज क्षेत्र में अवस्थित टी0वी0 वर्मा कॉलेज में बीएड की पढ़ाई के लिए 100 अतिरिक्त सीट बढ़ाने की मैं सदन के माध्यम से, सरकार से मांग करती हूं ।

श्री अरूण सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, काराकाट प्रखण्ड में पंचायत देव के ग्राम देवमारकण्डेय में पंचायत सरकार भवन बनाने हेतु बिहार सरकार की जमीन चयनित हुई । मिट्टी जांचोपरान्त प्रशासनिक स्वीकृति के साथ राशि विमुक्त की गयी, उक्त भूमि पर ले-आउट अभी तक नहीं हुआ । मैं पंचायत सरकार भवन बनाने की मांग करता हूं।

श्री मनोज मंजिल : माननीय अध्यक्ष महोदय, भोजपुर जिलांतर्गत अंचल संदेश के गांव फुलाड़ी और नूरपुर, अंचल अगिआंव के मुजफ्फरपुर और नोनऊर के सैकड़ों गरीबों को 1974-1975 में ही सोन दियारा की कृषि भूमि का पर्चा दिया गया था, रसीद नहीं दी जा रही है, सभी पर्चाधारियों को जमीन की रसीद निर्गत करने की मांग करता हूं।

(व्यवधान)

श्री रण विजय साहू : माननीय अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला के पटोरी प्रखंड अंतर्गत बहादुरपुर पटोरी पंचायत के योगी चौक से मिलकिया पोखर शिवरामा होते हुए अरविन्द चौक तक की लगभग 2.5 कि0मी0 सड़क काफी जर्जर अवस्था में है । जिसके कारण राहगीरों को काफी कठिनाई होती हैं ।

अत: जनहित में उपरोक्त सड़क के जीर्णोद्धार की मांग करता हूं।

श्री गोपाल रविदास : माननीय अध्यक्ष महोदय, पटना जिला अंतर्गत पुनपुन सुरक्षा बांध से ग्राम धरायचक-माधोपुर वाया इसापुर-फुलवारी शरीफ थाना रोड जो आर0डब्लू0डी0 रोड है, उसे पथ निर्माण विभाग में स्थानांतरण के निर्माण की मांग सरकार से करता हूं।

श्री सत्यदेव राम : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार के सभी जिला मुख्यालयों, प्रखण्ड मुख्यालयों एवं जिला न्यायालयों के परिसर में संविधान रचयिता बाबा साहेब डॉ0 भीम राव अम्बेडकर की आदमकद प्रतिमा लगाने की कैबिनेट द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाए ताकि भीम अनुयाई बाबा साहेब के आदमकद प्रतिमा लगा सके । मैं सरकार से मांग करता हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब स्थान ग्रहण करें । आपकी आवाज तो वैसे भी तेज है और तेज करने की क्या आवश्यकता है । माननीय सदस्य श्री विनय बिहारी ।

श्री विनय बिहारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, वार्ड सदस्यों को वित्तीय अधिकार देते हुए सात निश्चय-2, मानदेय बढ़ोत्तरी, मरणोपरांत पांच लाख रुपया नल जल, आंगनबाड़ी, जन वितरण दूकान व विद्यालयों से संबंधित कार्यों के लिए इन्हें भी अधिकृत किया जाए, सदन के माध्यम से इसकी मांग करता हूं ।

श्री भूदेव चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार प्रदेश में वैक्सीन कुरियर कर्मियों की कुल संख्या-10,800 है ये आंगनबाड़ी केन्द्र या चयनित टीकाकरण स्थल पर बच्चों एवं गर्भवती माताओं का टीकाकरण हेतु वैक्सीन पहुंचाने का कार्य करते हैं । उनको मानदेय मात्र 90 रुपये दिये जाते हैं । मैं इन्हें स्वास्थ्य विभाग में समायोजन की मांग करता हूं ।

श्री केदार प्रसाद गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिलांतर्गत बैरगिनिया नगर निकाय की जमीन पर महान स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद वंशी चाचा के नाम पर पार्क बनाकर आदमकद प्रतिमा एवं बैरगिनिया रेलवे स्टेशन के नाम की अनुशंसा सरकार से करने की मांग करता हूं ।

श्री सुदामा प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, आरा नगर निगम के वार्ड नं0- 40 के पूर्वी नवादा निवासी श्री राधेश्याम शर्मा का 19 वर्षीय पुत्र कुमार आदित्य 26 मार्च, 2023 को शाम में बाजार गया था, लौटकर नहीं आया । कुमार आदित्य की सकुशल बरामदगी की मांग करता हूं ।

श्री पवन कुमार यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार में अप्रैल महीने से प्रस्तावित 24 प्रतिशत महंगी बिजली की नई दर को वापस लेते हुए उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली दिये जाने की सरकार से मांग करता हूं ।

श्री राजू कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, जाति आधारित जनगणना अंतर्गत बिहार के लोहार जाति के लोगों के खतियान में जाति लोहार लिखे होने के बावजूद भी उन्हें कमार जाति की उपजाति के रूप में सूचीबद्ध किया जा रहा है, जबकि इनका कमार जाति से कोई संबंध नहीं है ।

अतः जनहित में मैं सरकार से मांग करता हूं कि लोहार जाति के लिए अलग से कोड निर्धारित कर इनकी जातिगत जनगणना करायी जाए ।

अध्यक्ष : माननीय सभापति, शून्यकाल समिति ।

श्री सुरेन्द्र मेहता : महोदय, मेरा शून्यकाल छूट गया है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र मेहता ।

श्री सुरेन्द्र मेहता : माननीय अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय जिलांतर्गत बछबाड़ा प्रखंड के गोबिन्दपुर-3 पंचायत के आलमपुर कान्हू ग्राम वार्ड नं0-15 में एन0एच0 28 से लेकर आलमपुर कान्हू टोला तक आने-जाने के लिए कोई पथ नहीं है ।

अतः एन0एच0-28 से लेकर आलमपुर कान्हू टोला तक भूमि अधिग्रहण कर पथ निर्माण करने के लिए सरकार से मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राजू कुमार सिंह जी, भविष्य के लिए मैं आपको कह रहा हूं कि आपने जो शून्यकाल की सूचना दी है वह 66 शब्दों में है लेकिन उसके बावजूद भी मैंने सोचा कि आपको शून्यकाल की सूचना पढ़वा दूँ । इसलिए आपको पढ़वा दिया कि भविष्य में 50 शब्दों से अधिक शून्यकाल की सूचना नहीं होनी चाहिए ।

सभा के समक्ष प्रतिवेदनों का रखा जाना

अध्यक्ष : माननीय सभापति, शून्यकाल समिति ।

श्री नीतीश मिश्रा, सभापति, शून्यकाल समिति : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-211 के तहत शून्यकाल समिति का खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित 96वाँ प्रतिवेदन, पंचायती राज विभाग से संबंधित 97वाँ प्रतिवेदन, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग से संबंधित 98वाँ प्रतिवेदन, ग्रामीण कार्य विभाग से संबंधित 99वाँ प्रतिवेदन एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित 100वाँ प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सदन में उपस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही 02:00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न–12/अभिनीत/28.03.2023

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।

विधायी कार्य लिये जायेंगे ।

विधायी कार्य

राजकीय विधेयक

''बिहार नौकाघाट बन्दोबस्ती एवं प्रबंधन विधेयक, 2023''

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार नौकाघाट बन्दोबस्ती एवं प्रबंधन विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार नौकाघाट बन्दोबस्ती एवं प्रबंधन विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गई ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री : महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार नौकाघाट बन्दोबस्ती एवं प्रबंधन विधेयक, 2023 पर विचार हो ।''

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–122(1) के तहत माननीय सदस्य श्री जनक सिंह, श्री संजय सरावगी एवं श्री अखतरूल ईमान का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ।

अतएव सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात् विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा ।

क्या माननीय सदस्य श्री जनक सिंह अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था से संबंधित मामला है । महोदय, हमलोग प्रवर समिति का प्रस्ताव संशोधन में दिये थे । प्रवर समिति का प्रस्ताव नहीं छपा है जबकि कार्य संचालन नियमावली में उल्लेखित है कि विधेयक के लिए प्रवर समिति को भी भेजे जाने का प्रस्ताव लिया जाना है । संयुक्त प्रवर समिति, प्रवर समिति..

अध्यक्ष : देखिए, माननीय सदस्य संजय सरावगी एवं अरूण शंकर प्रसाद द्वारा विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का प्राप्त संशोधन नियमानुकूल नहीं रहने के कारण सूची में शामिल नहीं किया गया । सभा नियम- 121 के तहत अमान्य है ।
माननीय सदस्य श्री जनक सिंह ।

<u>विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श</u>

श्री जनक सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार नौकाघाट बन्दोबस्ती एवं प्रबंधन विधेयक, 2023 के सिद्धांत पर विमर्श हो ।''

महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए दिया है कि पिछले दिनों से देखा जा रहा है कि कोई भी विधेयक एक सत्र में आता है और अगले ही सत्र में उस पर भी संशोधन आ जाता है । सबसे सशक्त प्रक्रिया यह हो सकती है कि वेबसाईट पर तथा अखबारों में प्रकाशित कर लोगों से मन्तव्य प्राप्त किया जाय और उस आलोक में एक सुविचारित कानून बने लेकिन यह जो लाया गया है यह मेरी समझ से सुविचारित नहीं है, इसलिए सरकार इसको अभी स्थगित रखे और इसीलिए इसके सिद्धान्त पर विमर्श का प्रस्ताव मैंने दिया है ।

महोदय, एक पौधा भी है, वह जब बीज के अनुरूप रहता है, बीज की स्थिति में रहता है तो किसान उस बीज को धरती में लाता है और नमी के फलस्वरूप वह ऊपर आता है और सयाना होता है, फूल-फल देता है । ठीक उसी प्रकार से इस विषय पर सरकार को समझना चाहिए लेकिन सरकार आनन-फानन में जो प्राकृतिक प्रदत्त है, इस समाज के अंदर जो भी वस्तुएँ हैं या जो भी विचार हैं उसके अनुरूप चलना चाहिए लेकिन सरकार इस दिशा में आवश्यक नहीं समझकर इस प्रकार की कदम उठायी है । महोदय, यह सदियों की परंपरा रही है । चारों युगों का जब हम अध्ययन करेंगे, चाहे वह सत्य युग

हो, त्रेता हो, द्वापर हो या आज कलयुग हो, सभी युगों में यह परंपराएँ रही हैं कि समाज के हर लोगों की बात को जानना चाहिए और उसके फलस्वरूप हमें करना चाहिए । इसी भारत भूमि के मिथिला नरेश राजा जनक को जो भी करना पड़ता था वह बुद्धिजीवियों की, विशेषकर शिक्षाविदों की राय लेते थे और शिक्षाविदों की जो राय बनती थी वह राज्यहित में राष्ट्रहित में लागू होती थी लेकिन सरकार, हमलोग देख रहे हैं समापन पर है । हमने सरकार के हित में अनेकों कार्यस्थगन लाये, जो ज्वलंत समस्याएँ हैं, जवानों की है, किसानों की है, बिजली वृद्धि से संबंधित है, सारे के सारे ऐसे ही रह गये और सरकार ने इन पर बहस नहीं कराया । आज तो सरकार ने तीस वर्ष का इतिहास स्थापित किया है कि गृह विभाग पर खुले रूप से सभी माननीय सदस्य पक्ष और विपक्ष बोलते थे । राज्य रहेगा तो राष्ट्र रहेगा, राष्ट्र का अंग राज्य होता है । इसलिए ऐसे विषयों पर सरकार को निश्चित रूप से समाज के सभी बुद्धिजीवियों की राय लेनी चाहिए । वेबसाइटों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से ताकि बुद्धिजीवी जो समाज के अंदर हैं, चूंकि हम जिनकी कोख से जन्मे हैं उनकी राय लेनी चाहिए । हम, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वार्ड के सदस्य हों, चाहे बी0डी0सी0 के सदस्य हों, चाहे जिला परिषद् हों, चाहे विधायक हों, चाहे माननीय सांसद उन सभी बुद्धिजीवियों के कोख से जन्मे हुए हैं लेकिन सिर्फ वे जन्म दे दें और हम जो चाहें वही हो यह उचित प्रतीत नहीं होता है । इसलिए जिनकी कोख से हम जन्म लिये हैं उनकी भी राय लेनी चाहिए, खुले रूप से, क्योंकि हम जो भी काम कर रहे हैं जनहित में कर रहे हैं। इसलिए मैंने इस विषय पर बहस कराने की बात कही..

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय..

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जरा स्थान ग्रहण करें ।
माननीय मंत्री ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जनक बाबू बोल रहे थे कि सदन समाप्ति पर है । महोदय, सरकार समाप्ति पर नहीं है, इन्होंने सरकार के बारे में बोला कि सरकार समाप्ति पर है, इसको प्रोसीडिंग्स से निकलवा दिया जाय ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिए । आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए ।
आप मूव किये हैं, आप अपना कहिए ।

श्री जनक सिंह : अध्यक्ष महोदय, बड़े भाई हैं और इनके, जब हम सरकार में थे, आप मुख्य सचेतक थे, इनके अंदर काम किया है मैंने, इसलिए मैं साधुवाद देता हूं

और आप तो श्रेष्ठ हैं, उम्र में भी श्रेष्ठ हैं और सरकार में हैं, हम विपक्ष में बैठे हैं और इन छोटी-छोटी बातों को कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि आज आपने जनहित के अनेकों मुद्दों पर चर्चा आपने की नहीं यह कितना, आज बालू घाटों के बंदोबस्ती और प्रबंधन विधेयक, 2023 के सिद्धांत पर जो हमने बात की, इसलिए हमने कहा कि इस पर बात बननी चाहिए और आम-अवाम की राय लेनी चाहिए ।

बहुत-बहुत धन्यवाद । आपने अध्यक्ष महोदय, समय जो दिया ।

<u>जनमत जानने का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री जनक सिंह, श्री अरूण शंकर प्रसाद एवं श्री संजय सरावगी द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया है ।

क्या माननीय सदस्य श्री जनक सिंह अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री जनक सिंह : अध्यक्ष महोदय, पुनः आपको साधुवाद कि जनमत जानने का मुझे आपने मौका दिया । महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार नौकाघाट बन्दोबस्ती एवं प्रबंधन विधेयक, 2023 दिनांक-30 जून, 2023 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो ।''

महोदय, इसमें भी लगभग वही बातें हैं जो पूर्व में हमने कही हैं । बिना जनमत जाने कोई भी कानून बना देना वेलफेयर स्टेट के लिए अच्छी बात नहीं होगी । यह जो विधेयक है इसमें पब्लिक की सहभागिता नहीं है, जो कि मैंने पूर्व में कहा है । माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले इस पर पब्लिक ऑपिनियन आता और तब इसको यहां से पारित किया जाता तो बहुत ही अच्छा होता, बहुत ही अच्छा होता लेकिन सरकार व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को प्रधानता दे रही है। सामूहिक चिंतन पर या राष्ट्र के हित पर या राज्य के हित पर नहीं सोच रही है। आज इसी सदन में यह कहा जा रहा है कि मैं भाग्यशाली हूं, मैं भाग्यशाली हूं क्योंकि मेरे कूल के लोग अनेकों पद पर आ गये । इसी सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं, इसलिए सुविचारित कानून ही कल्याणकारी राज्य के लिए फलदायी होता है । महोदय, एक सामान्य त्रुटि की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि इस विधेयक के अध्याय-7 के खंड-9 में है कि लोक नौकाघाटों की बन्दोबस्ती से उद्भूत राजस्व की जमा तथा उपयोग ।

..क्रमशः..

टर्न-13/धिरेन्द्र/28.03.2023

...क्रमशः...

श्री जनक सिंह : महोदय, यह वाक्य ही व्याकरण की दृष्टि से गलत है । इस तरह और भी कई भूलें हैं इसलिए इसे जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का प्रस्ताव दिया है । महोदय, अंत में मैं कहूँगा कि एक संत की युक्ति है- इंसान से गलतियाँ होती हैं यह सर्वविदित है लेकिन बारंबार गलती समाज के इस मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, दुनिया के लिए नहीं है, यह सरकार बारंबार गलती कर रही है । इसलिए मैंने इस विषय पर आपका ध्यान लाया है और आपने जो मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए ढेरों साधुवाद ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार नौकाघाट बन्दोबस्ती एवं प्रबंधन विधेयक, 2023 दिनांक-30 जून, 2023 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

(व्यवधान)

आप शांति बनाये रखें ।

(व्यवधान)

नहीं-नहीं ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार नौकाघाट बन्दोबस्ती एवं प्रबंधन विधेयक, 2023 पर विचार हो।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

<u>विधेयक के मूल पाठ में संशोधन</u>

अध्यक्ष : अब मैं खंडशः लेता हूँ । खंड-2 एवं 3 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2 एवं 3 इस विधेयक के अंग बने ।

खंड-4 में एक संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री संजय सरावगी : जी, मूव करेंगे । अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड-4 के उपखंड (6) के प्रथम पंक्ति के शब्द समूह ''जल संसाधन विभाग'' के स्थान पर शब्द समूह ''स्थानीय प्रशासन'' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन करने का मेरा उद्देश्य है कि स्थानीय प्रशासन तो सब जगह रहता है, और जल संसाधन विभाग के अधिकारी कितने रहते हैं ? ऐसे आपदा के समय अगर कोई आपदा की बात आ गई, कोई घटना घट गई तो लोग जल संसाधन विभाग से खोजेंगे कि जल संसाधन विभाग के अभियंता कहाँ हैं, बाकी लोग कहाँ हैं ? इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन यह था कि 'जल संसाधन विभाग' के स्थान पर शब्द समूह 'स्थानीय प्रशासन प्रतिस्थापित' किया जाय।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-4 के उपखंड (6) के प्रथम पंक्ति के शब्द समूह ''जल संसाधन विभाग'' के स्थान पर शब्द समूह ''स्थानीय प्रशासन'' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-4 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-4 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-5 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-5 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-5 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-6 में एक संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री संजय सरावगी : जी, मूव करेंगे । अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड-6 को विलोपित किया जाय ।''

अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में निजी नौकाघाट की व्यवस्था की गई है। रोज हमलोगों का बिहार विधान सभा में प्रश्न आता है कि बालू माफिया हावी है, प्रतिदिन प्रश्न आता है कि कैसे अवैध खनन हो रहा है या अवैध नौका चल रही है तो अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि इसमें जो निजी नौकाघाटों

की व्यवस्था की गई है । कभी दुर्घटना हो जायेगी, कभी कुछ हो जायेगा, प्रशासन से आदेश लेकर जगह-जगह पर निजी नौकाघाट बन जायेंगे, इसलिए मेरा प्रस्ताव यह है कि निजी नौकाघाट जो सरकार बना रही है, इस पर मेरा विरोध है कि निजी नौकाघाट की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए । लोक नौकाघाट, सरकारी नौकाघाट हो, सरकार उसको चलाये । निजी नौकाघाट बनाने से माफियाओं को प्रश्रय मिलेगा, अवैध वसूली को प्रश्रय मिलेगा, अवैध काम को प्रश्रय मिलेगा, अवैध नौका परिचालन को प्रश्रय मिलेगा । अध्यक्ष महोदय, इसीलिए मेरा यह प्रस्ताव था कि इसमें कोई इज्जत प्रतिष्ठा की बात नहीं है, अगर कुछ गलत हो गया है तो सरकार इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाये या बहुमत का जोर नहीं दिखाये । इसलिए निजी नौकाघाट का जो प्रस्ताव है, यह विलोपित किया जाय । अध्यक्ष महोदय, यह मेरा प्रस्ताव है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-6 को विलोपित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-6 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-6 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-7 में एक संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री संजय सरावगी : जी, मूव करेंगे । अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड-7 के दूसरी पंक्ति के शब्द समूह ''तथा निजी नौकाघाट'' को विलोपित किया जाय ।''

अध्यक्ष महोदय, इसमें जो मैंने कहा है, वही लोक नौकाघाट तथा निजी नौकाघाट, जब लोक नौकाघाट खोलने की व्यवस्था है तो निजी नौकाघाट सरकार क्यों खोलना चाहती है ? क्या फिर वही भ्रष्टाचार, फिर वही माफियागिरी, फिर वही अवैध बालू खनन, फिर वही अवैध धंधा, फिर वही अवैध परिचालन, क्या इसी के लिए सरकार जो है निजी नौकाघाट को प्रश्रय देना चाहती है ? अध्यक्ष महोदय, कभी ऐसा आपदा का समय आ जायेगा, दर्जनों की संख्या में निजी नौकाघाट खुल जायेंगे, दुर्घटना हो जायेगी । इसीलिए मैं पूर्व में भी कहा हूँ कि सरकार इसको प्रतिष्ठा का विषय नहीं बनाये, सरकार इसको बहुमत के जोर पर पास नहीं कराये । अध्यक्ष महोदय, मेरा जो संशोधन

है और एक जगह और मैं पढ़ रहा था कि नाव की परिभाषा में चलायमान नाव में कहीं भी यांत्रिक शब्द नहीं जोड़ा गया है । अध्यक्ष महोदय, क्या मोटर बोट में इसका प्रावधान नहीं है ? क्या यांत्रिक नाव चलेगी या नहीं चलेगी ? अध्यक्ष महोदय, इसीलिए मेरा यह संशोधन है कि खंड-7 के दूसरी पंक्ति के शब्द समूह 'तथा निजी नौकाघाट' को विलोपित किया जाय । लोक नौकाघाट खुले लेकिन निजी नौकाघाट खोलकर माफियाओं को, फिर से माफियाओं के हाथ में यह धंधा देने का सरकार कर रही है । इसीलिए इसमें संशोधन किया जाय, यह मेरा आग्रह होगा ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-7 के दूसरी पंक्ति के शब्द समूह ''तथा निजी नौकाघाट'' को विलोपित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-7 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-7 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एवं 20 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एवं 20 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एवं 20 इस विधेयक के अंग बने ।

टर्न-14/संगीता/28.03.2023

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार नौकाघाट बन्दोबस्ती एवं प्रबंधन विधेयक, 2023 स्वीकृत हो।''

महोदय, क्योंकि इसके पहले यह विधेयक बंगाल फेरिज एक्ट, 1885 एक्ट के तहत ये सारे कार्य यहां पर होते थे और यह बहुत पुराना एक्ट है 1885 का और इस एक्ट के तहत नौकाघाटों का प्रबंधन और बेहतर बनाने के लिए, इससे भी बेहतर बनाने के लिए इस व्यवस्था को लाया गया है । बिहार राज्य में नदियों, जल निकायों इत्यादि के अधीन लोगों, जानवरों, मवेशियों, मालों, सामग्रियों इत्यादि के आवागमन के लिए फेरी अर्थात नौका-नाव का परिचालन, प्रबंधन, बन्दोबस्ती एवं नियंत्रण से संबंधित वर्तमान में प्रवृत्त प्रावधानों को सुसंगत, सुचारू एवं सुव्यवस्थित करने तथा इस हेतु स्थानीय निकायों के प्राधिकारों को शक्तियां प्रदान किए जाने के उद्देश्य से बिहार नौकाघाट बन्दोबस्ती एवं प्रबंधन विधेयक, 2023 के प्रारूप का गठन किया गया है । यह विधेयक नौकाघाट की बन्दोबस्ती, प्रबंधन एवं नियंत्रण के लिए भारत के संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन के अन्तर्गत स्थापित त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थान से संबंधित ग्रामीण निकायों एवं शहरी निकायों के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के कार्यपालक प्राधिकारों को शक्तियों से न्यागमन तथा प्रत्योजन सुनिश्चित करने के साथ-साथ लोक नौकाघाटों को सुव्यवस्थित तथा विनियमित करने हेतु गठित है । इस विधेयक के प्रावधान के अधीन नौकाघाटों की बन्दोबस्ती, नियंत्रण एवं प्रबंधन की शक्ति समाहर्ता, अपर समाहर्ता, स्थानीय निकायों के स्थानीय प्राधिकार में विहित रीति से सरकार द्वारा निहित किया

जाएगा । फेरी के अधीन नौका-नाव का निबंधन, भार क्षमता, परिचालन का समय, जीवनरक्षक न्यूनतम सुरक्षा उपकरणों का निर्धारण एवं कार्यान्वयन विहित प्रक्रिया के अधीन होगा । इस विधेयक में लोक नौकाघाटों से पथ-कर टोल की वसूली सरकार द्वारा विनिश्चित विहित प्रक्रिया के अधीन होगी तथा लोक नौकाघाटों की बन्दोबस्ती से उद्‌भूत राजस्व का उपयोग एवं व्यय सरकार द्वारा निर्धारित विहित रीति से किए जाने का प्रावधान किया गया है । इस विधेयक के अधिनियमित हो जाने के पश्चात बिहार राज्य में वर्तमान में प्रभावी बंगाल फेरिज अधिनियम, 1885 निरसित हो जाएगा तथा नया अधिनियम इसका स्थान लेगा । साथ ही, नए अधिनियम के प्रावधान राज्य सरकार के अन्य विभागों द्वारा बनाए गए एवं अधिनियमित ऐसे सभी प्रावधानों का स्थान लेगा एवं अभिभावी होगा, माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी साहब ने जो प्रश्न उठाए तो इसमें तो खुशी की बात होनी चाहिए कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण यानी कि शक्ति का विकेन्द्रीकरण इस माध्यम से किया जा रहा है और बेहतर प्रबंधन के लिए जो छूटे हुए अंग हैं, नाव से विभिन्न तरह के ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था जो है उसको सुचारू रूप से चलाया जा सके और कहीं भी निजी घाट बनाने का निर्णय लिया जा सकता है ऐसा इसमें प्रावधानित है । ये बना दिया गया है ऐसा प्रावधानित नहीं है, आवश्यकता के अनुसार इसमें फ्लेक्सिबल रखा गया है । अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार नौकाघाट बन्दोबस्ती एवं प्रबंधन विधेयक, 2023 स्वीकृत हो ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार नौकाघाट बन्दोबस्ती एवं प्रबंधन विधेयक, 2023 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार नौकाघाट बन्दोबस्ती एवं प्रबंधन विधेयक, 2023 स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक- 28 मार्च, 2023 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या-33 है । अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभाग को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

माननीय सदस्यगण, आप सभी को एक महत्वपूर्ण जानकारी देनी है कि बिहार विधान परिषद्, पटना में सुरक्षा प्रहरी के पद पर कार्यरत शिवानी कुमारी ने पुणे में आयोजित ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज एथलेटिक्स चैंपियनशीप 2022-23 की 1500 मीटर दौड़ स्पर्धा में अभी गोल्ड मेडल प्राप्त

किया है । इसी स्पर्धा में शिवानी कुमारी ने दिनांक-26 मार्च, 2023 को 800 मीटर दौड़ में सिल्वर मेडल भी प्राप्त किया है । इस उपाधि के लिए शिवानी कुमारी को मैं अपनी तथा संपूर्ण सदन की ओर से धन्यवाद देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं ।

अब सभा की बैठक शुक्रवार, दिनांक 31 मार्च, 2023 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।